Bahu- Ayami Party (B.A.P.)

बहु–आयामी पार्टी (बी.ए.पी.)

संविधान/Consitution

Officers Solutions Booklet

पदाधिकारी समाधान पुस्तिका

बोल कि लब आजाद है तेरे

बहु–आयामी पार्टी (बी.ए.पी.)

अब नेता वही बनेगा जो उसका असली हकदार होगा

Constitution

संविधान

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 क के अधीन बहुआयामी पार्टी का संविधान

बहु-आयामी पार्टी (बी.ए.पी.)
का संविधान

BAHU-AYAMI PARTY (B.A.P.)
KA SANVIDHAN

नोट,

1. इस संविधान में जिला या जनपद का मतलब 10 लाख वोटरों से होगा,जिसको लोकसभा के तौर पर परिभाषित किया समझा जाय।
2. इस संविधान में मंडल का मतलब पांच लोकसभा सीट को सम्मिलित किया जाना समझा जाय।
3. इस संविधान में पार्टी कांग्रेस का मतलब पार्टी समिति,सम्मेलन या कार्यकारिणी से समझा जाए।
4. इस संविधान में प्रयोग किया गया शब्द संगठन, निकाय, संगम, दल को पार्टी ही समझा जाए।
5. इस संविधान में प्रयोग राज्य का मतलब केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल किया समझा जाए।
6. इस संविधान को सरल भाषा में परिभाषित करने के लिए हिंदी के कठिन शब्दों को अंग्रेजी में उच्चारण किया गया है।
7. इस संविधान में बहुआयामवाद को अलग से परिभाषित किया जायेगा।
8. पार्टी संविधान में पदाधिकारियों के कार्य, दायित्व, अधिकार महिला,पुरुष दोनों के लिए ही समझें जाय।

NOMENCLATURE/ शब्दावली

पृष्ठ संख्या/ **Page No.**

Rule under Article/ अनुच्छेद के तहत नियम

अनुच्छेद 1/I दल का नाम

संगठन, निकाय, संगम, दल, परिषद, पार्टी का नाम:- 5

अनुच्छेद 2/II दल का उद्देश्य

अनुच्छेद II (ए) बहु-आयामी पार्टी का उद्देश्य **5**

अनुच्छेद II (बी) बहु-आयामी पार्टी सिद्धांतों **5**

अनुच्छेद II (सी) बुनियादी दर्शन

अनुच्छेद II (डी) पार्टी की नीति **5**

अनुच्छेद II (ई) बहुआयामी पार्टी के उद्देश्य **6**

अनुच्छेद II (एफ) पार्टी का झंडा **7**

अनुच्छेद 3/III दल की सदस्यता

अनुच्छेद III (ए) आवेदन और घोषणा **7**

अनुच्छेद III (बी) सदस्यता शुल्क **8**

अनुच्छेद III (सी) सदस्यता के लिए योग्यता **8**

अनुच्छेद III (डी) पार्टी के अधिकारी के लिए योग्यताएं **8**

अनुच्छेद III (इ) सदस्य बनने के लिए निरर्हताएं होंगी **9**

अनुच्छेद III (एफ) पार्टी की ओर से सदस्यों को देय दस्तावेज **9**

अनुच्छेद III (जी) सदस्यों के अधिकार **9**

अनुच्छेद III (एच) सदस्यों के कर्तव्य **10**

अनुच्छेद III (आई) सदस्यता रिकॉर्ड व सदस्यता की जांच **10**

अनुच्छेद III (जे) पार्टी लेवी **11**

अनुच्छेद 4/IV पार्टी /दल के घटक

अनुच्छेद IV (ए) पार्टी की संगठनात्मक संरचना **11**

अनुच्छेद IV (बी) ग्राम/वार्ड इकाई **11**

अनुच्छेद IV (सी) ग्राम पंचायत स्तर पर इकाइयाँ **11**

अनुच्छेद IV (डी) ब्लॉक/ या नगर पंचायत स्तर पर पार्टी इकाइयाँ **12**

अनुच्छेद IV (इ) विधानसभा स्तर पार्टी इकाइयाँ **12**

अनुच्छेद IV (एफ) लोकसभा/ ज़िला स्तर की पार्टी इकाइयाँ **12**

अनुच्छेद IV (जी) मंडल / सेक्टर ज़ोन स्तर पार्टी इकाइयाँ 13

अनुच्छेद IV (एच) राज्य स्तर पार्टी इकाइयाँ 13

अनुच्छेद IV (आई) केंद्रीय समिति 14

अनुच्छेद IV (जे) चुनाव प्रक्रिया 15

अनुच्छेद IV (के) चुनाव मशीनरी 16

अनुच्छेद IV (एल) चुनाव समिति की शक्ति और कार्य 17

अनुच्छेद IV (एम) पार्टी के प्रकोष्ठ / विंग 17

अनुच्छेद IV (एन) प्रकोष्ठों के लिए नियम 18

अनुच्छेद 5/V दल के पदाधिकारी

अनुच्छेद V (ए) पार्टी / संगठन पदाधिकारी तथा पार्टी अनुशासन 20

अनुच्छेद V (बी) प्रभारी के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ 21

अनुच्छेद V (सी) उपप्रभारी के काम तथा जिम्मेदारियां 21

अनुच्छेद V (डी) नियंत्रक के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ 21

अनुच्छेद V (इ) उपनियंत्रक के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ 22

अनुच्छेद V (एफ) सलाहकारों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां 22

अनुच्छेद V (जी) उप सलाहकारों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां 23

अनुच्छेद V (एच) अध्यक्ष के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ 23

अनुच्छेद V (आई) उपाध्यक्ष के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ 24

अनुच्छेद V (जे) महासचिव के कार्य व कर्तव्य तथा जिम्मेदारियाँ 24

अनुच्छेद V (के) उपसचिव, सहायक सचिव कोसचिव के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ 25

अनुच्छेद V (एल) महाप्रवक्ता के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ 25

अनुच्छेद V (एम) प्रवक्ता के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ 26

अनुच्छेद V (एन) गोपनीयक के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ 26

अनुच्छेद V (ओ) उपगोपनीयक के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ 26

अनुच्छेद V (पी) कोषाध्यक्ष के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ 26

अनुच्छेद V (क्यू) उपकोषाध्यक्ष के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ 27

अनुच्छेद V (आर) मीडिया प्रभारी के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ 27

अनुच्छेद V (एस) उपमीडिया प्रभारी, सहमीडिया प्रभारी के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ 27

अनुच्छेद V (टी) संग्राहक के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ 27

अनुच्छेद V (यू) उप संग्राहक के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ 28

अनुच्छेद V (वी) संदेशक के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ 28

अनुच्छेद V (डब्ल्यू) उप संग्राहक के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ 28

अनुच्छेद V (एक्स) प्रोत्साहक के कार्य 29

अनुच्छेद V (वाई) उप प्रोत्साहक के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ 29

अनुच्छेद V (ज़ेड) पदाधिकारियों का कार्यकाल 29

अनुच्छेद 6/VI विवादों के निपटान एवं अनुशासन के नियम

अनुच्छेद VI (ए) चुनावी विवाद 30

अनुच्छेद VI (बी) अनुशासन के नियम 31

अनुच्छेद VI (सी) सजा का प्रावधान 31

अनुच्छेद VI (डी) पार्टी नोटिस 32

अनुच्छेद VI (इ) पार्टी सदस्य पदाधिकारी अपील 32

अनुच्छेद 7/VII कामकाज के संचालन की मूलभूत जानकारी

अनुच्छेद VII (ए) पार्टी के विशेष सत्र 32

अनुच्छेद VII (बी) शक्तियां और क्षेत्राधिकार 32

अनुच्छेद VII (सी) संसदीय बोर्ड 33

अनुच्छेद VII (डी) सदस्यों की बैठक के लिए कोरम 33

अनुच्छेद VII (इ) त्यागपत्र 33

अनुच्छेद VII (एफ) रिक्ति 34

अनुच्छेद VII (जी) पार्टी सम्मेलन 34

अनुच्छेद VII (एच) पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी 34

अनुच्छेद 8/VIII दल के कोष एवं लेखा जोखा

अनुच्छेद VIII (ए) पार्टी फंड 34

अनुच्छेद VIII (बी) पार्टी फंड,राशि का विभाजन 35

अनुच्छेद VIII (सी) केंद्रीय समिति वित्त नियम 35

अनुच्छेद 9/ दल के संविधान की संशोधन प्रक्रिया।

अनुच्छेद IX (ए) संविधान के संशोधन 35

अनुच्छेद IX (बी) पार्टी बाय-लॉ 36

अनुच्छेद IX (सी) विविध प्रावधान 36

अनुच्छेद 10/X विलय विभाजन और विघटन की प्रक्रिया

दल के प्रतिनिधि 36

अनुच्छेद 1/I दल का नाम

संगठन, निकाय, संगम, दल, पार्टी का नाम:-

पार्टी का नाम हिंदी में होगा:- **बहु-आयामी पार्टी होगा**, जिसका संक्षेप नाम (बी.ए.पी.) होगा|

अंग्रेजी में **Bahu-Ayami Party** होगा जिसका एबरेविएशन (B.A.P.) होगा|

अनुच्छेद 2/II दल का उद्देश्य

अनुच्छेद II (ए) बहु-आयामी पार्टी का उद्देश्य

"हम, भारत के लोग, भारत को संप्रभु पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में गठित करने और उसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं: न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, की स्वतंत्रता स्थिति, अवसर की समानता और उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली सभी बंधुता को बढ़ावा देना |

अनुच्छेद II (बी) बहु-आयामी पार्टी सिद्धांतों

a) लोकतंत्र

b) पंथनिरपेक्ष

c) गरीबों की समानता और उत्थान

d) समाजवाद

e) बहुआयामवाद

अनुच्छेद II (सी) बुनियादी दर्शन

पार्टी का मूल दर्शन होगा बोल की लब आजाद हैं तेरे, और अब नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा नेता वही बनेगा जो उसका हकदार होगा |

अनुच्छेद II (डी) पार्टी की नीति

बहुआयामी दल भारत के संविधान के लिए स्थापित कानून और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगा, पार्टी सभी वर्गों के बीच समानता पैदा करने का प्रयास करती रहेगी और एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज और बहुआयामवाद की स्थापना करेंगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षा, तकनीक और अनुसंधान को बढ़ावा देना और एकता को खतरे में डाले बिना केंद्र की समग्र संप्रभुता के अधीन भारतीय उपमहाद्वीप में राज्यों के लिए अधिक स्वायत्त शक्तियों के लिए प्रयास रहेगी भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्र की अखंडता रखेगा

"बहुआयामी पार्टी यह समझती है कि भारत विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों की एक संघीय और गणतंत्रात्मक भौगोलिक इकाई है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं की मांगों को पूरा करने के लिए और आर्थिक प्रगति का

मार्ग प्रशस्त करने के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि केंद्र और राज्य संबंधों को फिर से परिभाषित करके भारतीय संवैधानिक संरचना को एक वास्तविक संघीय आकार और अधिकार दिया जाए"

a. लोगों और उनके सर्वांगीण विकास के लिए अपनी प्रतिभा के अनुसार भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत लोगों के विकास और लाभ और सभी को न्याय के लिए राज्य का निर्माण करना।
b. जनजातीय लोगों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक, और सामान्य रूप से राज्य के आधुनिक तकनीकों और कौशल में सार्वभौमिक शिक्षा और कठोर उन्नत शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रयास करना।
c. सामाजिक लोगों की पहचान को सुरक्षित करना और संरक्षित करना और उनके हितों की रक्षा करना, उनके आर्थिक विकास के लिए भूमि, जंगल, खनिज और इस तरह के अन्य संसाधनों के लिए उनके अपरिहार्य अधिकारों के संबंध में काम करना |
d. उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने और राज्य को सही क्षेत्रों और उन निकटवर्ती क्षेत्रों को बहाल करने के लिए जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के जनजातीय लोगों /आदिवासी लोगों से संबंधित हैं।
e. सार्वजनिक मामलों के संचालन में चरित्र, ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही, अनुशासन और निष्पक्षता को बढ़ावा देना।
f. जीवन के सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास करना और शासन की एक नई प्रणाली शुरू करके एक न्यायपूर्ण और स्वच्छ प्रशासन स्थापित करना।

अनुच्छेद II (ई) बहुआयामी पार्टी के उद्देश्य

a. एक ऐसी न्यायपालिका का निर्माण करना जो सभी नागरिकों को समयब्द्ध उचित न्याय दिलाए जोकि संपूर्ण भारत के जनपद स्तर से उतारकर तहसील स्तर तक लाने का प्रयास करती रहेगी।
b. ऐसी शिक्षा प्राणी का निर्माण कराना जो प्रयोगात्मक होते हुए सभी भारतीय नागरिकों को अपनी जीवन यापन करने और सीखने के समान अवसर उपलब्ध कराती रहे जोकि स्वदेशी शिक्षाप्रणाली, योजनाओं पर निर्भर करेगी।
c. भारतीय कृषि व्यवस्था, व्यापार वाणिज्य, विज्ञान, उद्योग, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण सभी में एक मजबूत तालमेल स्थापित करने के लिए नई नई रणनीतियां बनाने का प्रयास करती रहेगी |
d. राष्ट्रपति हो या मजदूर की संतान शिक्षा हो सबको एक समान " सिद्धान्त के तहत ' समान एवं अनिवार्य शिक्षा ' जिसमें सभी के लिए समान पाठ्यक्रम , समान माध्यम एवं समान मूल्यांकन प्रणाली एवं विशेष रूप से भारतीय संविधान के अध्ययन व अध्यापन को बढ़ावा दिया जाने के लिए प्रयास करती रहेगी।
e. उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वायत्ता घोषित करके वहाँ आरक्षण व्यवस्था मानक के अनुसार लागू कराने का प्रयास तथा युवा की प्रतिभाओं को निखारने को लिए विदेशी विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालयों का निर्माण किए जाने लगातार प्रयास करती रहेगी जिसका प्रयास प्रदेश स्तर से घटाकर प्रत्येक जनपद तक लाने का प्रयास होता रहेगा।

f. प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आईएस , आईपीएस , पीसीएस आदि सिविल सर्विस के लिए एससी / एसटी / ओबीसी / माइनॉरिटीज़ के लिए खुला साक्षात्कार कराने का प्रयास कराती रहेगी ताकि समस्त समुदाय जाति धर्म के साथी अपनी योग्यता अनुसार अपने पदों को ग्रहण कर सकें।

g. सभी भारतीय नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्यों की पूर्ण जानकारी प्राप्त कराने के लिए व अपनी क्षमताओं का उपयोग राष्ट्र निर्माण में कराने के लिए प्रयास करती रहेगी।

h. भारतीय शिक्षा प्रणाली में कानून विधि व संविधान की कमी को देखते हुए भारतीय शिक्षण प्रणाली में संविधान के शिक्षण को अनिवार्य कराने की भरपूर कोशिश करती रहेगी।

i. पार्टी अपनी विचारधारा को उपरोक्त मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कमजोर वर्गों के शोषण को समाप्त करने और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से वंचितों के दमन के लिए एक आंदोलन के रूप में और अपनी राजनीतिक गतिविधि और शासन में भागीदारी को आगे बढ़ाने के एक साधन के रूप में मानेगी।

j. पार्टी का उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक, संस्कृति, कृषि, क्षेत्रों, शैक्षिक, तकनीकी, अनुसंधान में भारत का सर्वांगीण विकास करना और भारत को बहुआयामी, बहुआयामी को ध्यान में रखते हुए वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना होगा।

अनुच्छेद II (एफ) पार्टी का झंडा

दल का झंडा तीन रंगों में होगा नीला, हर और भगवा, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से डेढ़ गुना होगी। झंडे के बीच में एक चुनाव आयोग की तरफ से देय चुनाव चिन्ह का गोला /सर्किल के जैसा स्थान रहेगा जिसमें चुनाव चिन्ह के मिलने पर चुनाव चिन्ह दिखाया जाएगा, झंडे के ऊपर का रंग नीला होगा तथा झंडे के नीचे का रंग भगवा होगा और झंडे के बीच का रंग हरा होगा जिसमें झंडे के ऊपर अंग्रेजी में Bahu-ayami party/ पार्टी का नाम लिखा होगा और नीचे की तरफ हिंदी में भी बहु-अयामी पार्टी का नाम लिखा होगा।

अनुच्छेद 3/III दल की सदस्यता

अनुच्छेद III (ए) आवेदन और घोषणा

1. एक आवेदक सदस्यता के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करते समय निम्नलिखित घोषणा करनी होगी |

"मैं भारत की बहुआयामी पार्टी बी.ए.पी. में शामिल होने के लिए अपनी स्वेच्छा से हूं। मैं पार्टी के नीति, निर्देशन, सिद्धांतों कार्यक्रम को बनाए रखूंगा/रखूंगी, पार्टी के संविधान के प्रावधानों का पालन करूंगा/करूंगी, पार्टी के सदस्य के कर्तव्य को पूरा करूंगा/करूंगी, पार्टी के फैसलों को पूरा करूंगा/करूंगी, पार्टी के अनुशासन का सख्ती से पालन करूंगा/करूंगी और हमेशा पार्टी के प्रति वफादार रहूंगा/रहूंगी मैं कड़ी मेहनत करूंगा/करूंगी, जीवन भर बहुआयामीता के लिए लड़ूंगा/लड़ूंगी और पार्टी के लिए, लोगों के लिए और देश के

लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए खुद को तैयार करूंगा/ करूंगी मैं पार्टी के रहस्यों की रक्षा करने और पार्टी के साथ कभी विश्वासघात नहीं करने का संकल्प लेता/लेती हूं।

अनुच्छेद III (बी) सदस्यता शुल्क

a. पार्टी के सभी सदस्यों के साथ-साथ उम्मीदवारों को प्रति वर्ष 100 रुपये की पार्टी सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा। यह वार्षिक पार्टी शुल्क पार्टी में प्रवेश के समय और प्रत्येक वर्ष के मार्च-अंत तक संबंधित सदस्य द्वारा शाखा या इकाई सचिव को भुगतान किया जाएगा। यदि वह नियत समय में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम पार्टी रोल से हटा दिया जाएगा। केंद्रीय समिति इस तिथि को बढ़ा सकती है यदि परिस्थितियाँ इस तरह के विस्तार की आवश्यकता होती हैं।

b. पार्टी की शाखाओं या इकाइयों द्वारा पार्टी के सदस्यों से एकत्र की गई सर्वदलीय फीस उपयुक्त पार्टी समितियों के माध्यम से केंद्रीय समिति के पास जमा की जाएगी।

अनुच्छेद III (सी) सदस्यता के लिए योग्यता

a) **सदस्य;** कोई भी व्यक्ति जो बहु-अयामी पार्टी बी.ए.पी के अनुच्छेद 2 के सिद्धांतों, नीतियों को स्वीकार करता हो सदस्य बन सकता है बशर्ते कि वह किसी अन्य पार्टी का सदस्य न हो|

b) **प्राथमिक सदस्य;** भारत के नागरिक,शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ,अठारह वर्ष, व्यक्ति जो 18 वर्ष का है और वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. 100 का भुगतान किया हो प्राथमिक सदस्य होगा।

c) **सक्रिय सदस्य:** पार्टी का एक प्राथमिक सदस्य, जिसने पार्टी में प्रवेश के एक वर्ष के बाद 25 सदस्यों को नामांकित किया है और वार्षिक सक्रिय सदस्यता शुल्क रु। 1000/- का भुगतान किया हो एक सक्रिय सदस्य होगा।

d) पार्टी में पदाधिकारी बनने के लिए सक्रिय सदस्य अनिवार्यता के साथ ही किसी भी विषय के साथ स्नातक डिग्री डिप्लोमा होना अनिवार्य होगा|

अनुच्छेद III (डी) पार्टी के अधिकारी के लिए योग्यताएं

a) किसी भी विषय में डिग्री/डिप्लोमा/स्नातक हो|

b) किसी भी संगठन/सोसाइटी/ट्रस्ट/फाउंडेशन आदि के अधिकारी हो |

c) समाचार रिपोर्टर, संपादक, अनुवादक, ब्यूरो प्रमुख, पत्रकार, प्रकाशक आदि हो|

d) बीएलएलबी/एलएलएम, वकील, सलाहकार, परामर्श सेवा प्रदाता आदि हो|

e) पढ़ने और लिखने का ज्ञान हो, संगठनात्मक अनुभव,सामाजिक, आर्थिक सेवा, भाषाई, कला सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सामाजिक सुधार सांप्रदायिक सद्भाव हो|

अनुच्छेद III (इ) सदस्य बनने के लिए निरर्हताएं होंगी -

a) बहुआयामी पार्टी बी.ए.पी के अलावा किसी अन्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का सदस्य हो|

b) बहुआयामी बी.ए.पी द्वारा अवांछित घोषित किया जाता हो|

c) न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो

d) कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा हो|

e) भ्रष्टाचार, अपशब्द तथा मादक पदार्थ नशा में लिप्त रहता हो |

f) पद की गरिमा का उल्लंघन तथा कर्तव्यों में लापरवाही करता हो|

g) पार्टी के संविधानिक अनुशासन का उल्लंघन करता हो|

h) पार्टी की गोपनीयता बनाए रखने में विफल रहता हो|

अनुच्छेद III (एफ) पार्टी की ओर से सदस्यों को देय दस्तावेज

a. पार्टी की सदस्यता में प्रवेश लेने पर, प्रत्येक सक्रिय और सहयोगी सदस्य को सदस्यता कार्ड जारी किया जाएगा।

b. पार्टी सदस्यता कार्ड पूरे देश में एक समान होंगे और केंद्रीय समिति द्वारा जारी किए जाएंगे।

c. पार्टी के समस्त पदाधिकारियों के लिए आईडी कार्ड को जारी किया जाएगा जिस पर संबंधित पदाधिकारी की आईडी नंबर व रेफरेंस नंबर अंकित होगा जोकि यूनीक और स्थायी रहेगी|

d. बहुआयामी पार्टी बी.ए.पी से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र अधिकार पत्र (आईडी कार्ड केवल सक्रिय पदाधिकारी) पार्टी की ओर से देय होंगे|

अनुच्छेद III (जी) सदस्यों के अधिकार

a) सक्रिय सदस्य - एक सक्रिय सदस्य को सभी स्तरों पर निर्वाचित होने का अधिकार होगा।

b) सक्रिय पदाधिकारी - एक सक्रिय सदस्य को शाखा स्तर निर्वाचित होने का अधिकार होगा।

c) पार्टी की गतिविधियों में भाग लेने के लिए, जिसमें पार्टी से जुड़े विभिन्न फ्रंट जन संगठनों और प्रकोष्ठों की गतिविधियां शामिल रहेंगी |

d) पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के लिए उचित स्तर पर पार्टी में चर्चा में भाग लेने के लिए होगा |

e) पार्टी में अपने काम के बारे में प्रस्ताव देना और खुद को काम सौंपना भी शामिल करना रहेगा |

f) किसी पार्टी इकाई के किसी भी निर्णय के साथ मतभेद के मामले में, एक सदस्य को अपनी राय, लिखित रूप में, उच्च समिति को प्रस्तुत करने का अधिकार होगा ऐसे मामले में उसे पार्टी इकाई के निर्णय की आलोचना को पार्टी के भीतर रखना होगा और पार्टी की गुप्त रणनीतियों में से बाहर कुछ भी प्रकट करने की अनुमति नहीं होगी |

g) पार्टी में अपनी इकाई में व्यक्तिगत रूप से सुना जाना जब पार्टी इकाई उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी |

अनुच्छेद III (एच) सदस्यों के कर्तव्य

a) पार्टी की गतिविधियों में भाग लेने के लिए और पार्टी की नीति, निर्णयों और निर्देशों का ईमानदारी से पालन करने के लिए और पार्टी द्वारा निर्धारित लेवी का नियमित रूप से भुगतान करेगा

b) पार्टी संविधान, पद के गरिमा का और पार्टी अनुशासन का पालन करेगा

c) स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और शिक्षाओं और स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का अध्ययन करेगा

d) पार्टी की क्रांतिकारिक गतिविधियाँ, भारतीय परंपराओं, संस्कृतियों, विरासतों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों पर समकालीन विकास करेगा

e) पार्टी के कार्यक्रमों में पार्टी की ओर से प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन और पार्टी की लोकप्रिय को बढ़ाने के लिए सदैव समर्थन करेगा

f) पार्टी के भीतर एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करेगा, पार्टी की रक्षा करेगा और उसकी विचारधारा को बनाए रखेगा और पार्टी के दुश्मनों, देश के हमलों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेगा

g) अलगाववाद और सांप्रदायिकता की ताकतों के खिलाफ लगातार लड़ेगा

h) पार्टी के सदस्य नव-औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ लड़ता रहेगा|

i) अश्लीलतावादी, ज़ेनोफोबिक और अन्य सभी प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहेगा|

j) सामाजिक न्याय और सतत विकास के लिए लड़ेगा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करता रहेगा|

अनुच्छेद III (आई) सदस्यता रिकॉर्ड व सदस्यता की जांच

a) सभी सदस्यों तथा पदाधिकारी का विवरण राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रदेश कार्यकारिणी के साथ-साथ में लोकसभा स्तर की कार्यकारिणी में भी उपलब्ध रहेगी|

b) पार्टी के द्वारा पार्टी की सदस्यता की वार्षिक जांच की जाएगी। पार्टी का कोई भी सदस्य जो निरंतर अवधि के लिए और बिना उचित कारण के पार्टी के जीवन और गतिविधि में भाग लेने या पार्टी के बकाया का भुगतान करने में विफल रहा है, उसको पार्टी की तरफ से सूचित करते हुए पार्टी की सदस्यता से हटा दिया जाएगा।

c) पार्टी के किसी शाखा या पार्टी समिति द्वारा पार्टी सदस्यता की जांच पर एक रिपोर्ट संबंधित पदाधिकारियों को पुष्टि और पंजीकरण के लिए अगली उच्च समिति को भेजा जाएगा।

d) पार्टी की सदस्यता छोड़ने के निर्णयों पर पार्टी के उच्च पदाधिकारियों के पास अपील का अधिकार होगा।

अनुच्छेद III (जे) पार्टी लेवी

पार्टी के प्रत्येक सदस्य को केंद्र द्वारा निर्धारित मासिक शुल्क का भुगतान करना होगा जिनकी आय वार्षिक प्रकृति की होगी, उन्हें वर्ष की शुरुआत में उनके लेवी का भुगतान करना होगा उसी प्रतिशत के आधार पर यदि कोई सदस्य अपनी लेवी जमा करने में विफल रहता है तो इसके एक वर्ष बाद, उनका नाम पार्टी रोल से सूचित करते हुए हटा दिया जाएगा|

अनुच्छेद 4/IV पार्टी /दल के घटक

अनुच्छेद IV (ए) पार्टी की संगठनात्मक संरचना

a) संगठन के घटते हुए क्रम की समितियों/ कार्यकारिणीयों का स्तर निम्न प्रकार से होगा

1. राष्ट्रीय स्तर, 2. राज्य स्तर, 3. मंडल/ सेक्टर ज़ोन स्तर, 4. लोकसभा/ ज़िला स्तर, 5. विधानसभा स्तर, 6. ब्लॉक/ नगर पंचायत स्तर, 7. ग्राम पंचायत स्तर, 8. ग्राम/ वार्ड/ मोहल्ला स्तर आदि होंगी

b) जबकि संगठन में बढ़ते हुए क्रम की समितियों/ कार्यकारिणीयों का स्तर निम्न प्रकार होगा

1.ग्राम/वार्ड/ मोहल्ला स्तर, 2**.** ग्राम पंचायत स्तर, 3. ब्लॉक/ नगर पंचायत स्तर, 4. विधानसभा स्तर, 5. लोकसभा/ ज़िला स्तर, 6. मंडल स्तर/ सेक्टर ज़ोन **7**. राज्य स्तर, और 8. राष्ट्रीय स्तर आदि होंगी

अनुच्छेद IV (बी) ग्राम/वार्ड इकाई

a) पार्टी के निचले स्तर के लिए प्रत्येक गांव स्तर पर गांव/वार्ड/ मोहल्ला इकाई का गठन किया जाएगा|

b) ग्राम/वार्ड/ मोहल्ला इकाई पार्टी के प्राथमिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनकी सदस्यता संभागीय इकाई के कार्यालय से होगी|

c) ग्राम/वार्ड/ मोहल्ला इकाई का पर्यवेक्षण पदाधिकारियों और कार्यकारी संरचना समिति का निर्धारण इकाई के सदस्यों द्वारा किया जाएगा|

d) ग्राम/वार्ड/ मोहल्ला इकाई का कर्तव्य प्राथमिक रूप से जनता के बीच पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करना होगा|

e) ग्राम/वार्ड/ मोहल्ला इकाई संबंधित क्षेत्र के ध्यान में संभागीय इकाई आवश्यक कार्यों के लिए राज्य की शांति और शांति को प्रभावित करने वाला कोई भी मामला पार्टी के समक्ष लाएगा |

अनुच्छेद IV (सी) ग्राम पंचायत स्तर पर इकाइयाँ

a) पार्टी के प्रत्येक ग्राम पंचायत में केवल एक ही ग्राम पंचायत पार्टी इकाई का गठन किया जाएगा

b) पार्टी के प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुल **25** पदाधिकारी को कार्यकारणी में सम्मिलित किया जाएगा|

c) पार्टी के प्रत्येक ग्राम पंचायत इकाई में अतिरिक्त सदस्यों को नामांकित करने की कोई सीमा सुनिश्चित नहीं होगी|

d) पार्टी के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर इकाइयों में**,** केवल प्राथमिक सदस्य ही भाग लेंगे और अपने पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे |

e) पार्टी के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर इकाइयों में **25** पदाधिकारी**,** जैसा की रूपरेखा संरचना में दिखाया गया है उच्च इकाई के प्रतिनिधि के द्वारा कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव किया जायेगा|

अनुच्छेद IV (डी) ब्लॉक/ या नगर पंचायत स्तर पर पार्टी इकाइयाँ

a) ब्लॉक/ नगर पंचायत इकाई से संबंधित बूथ के मतदाता सदस्य सामूहिक रूप से एक निर्वाचक क्षेत्र से होंगे

b) ब्लॉक/ नगर पंचायत इकाई निर्वाचक क्षेत्र के सदस्य मतदान केंद्र समिति के पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे

c) पार्टी के ब्लॉक/ नगर पंचायत इकाइयों में **25** पदाधिकारी**,** जैसा की रूपरेखा संरचना में दिखाया गया है उच्च इकाई के प्रतिनिधि के द्वारा कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव किया जायेगा

d) पार्टी के पार्टी के ब्लॉक/ नगर पंचायत इकाई में अतिरिक्त सदस्यों को नामांकित करने की कोई सीमा सुनिश्चित नहीं होगी

जब तक चुनाव सर्वसम्मति से न हो**,** वोट गुप्त मतदान द्वारा लिए जाएंगे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों के साधारण बहुमत के आधार पर होगा और परिणाम तुरंत घोषित किए जाएंगे। संबंधित ब्लॉक/ या नगर पंचायत इकाई के मतदाता सदस्य सामूहिक रूप से एक निर्वाचक क्षेत्र का निर्माण करेंगे। उक्त निर्वाचक क्षेत्र के सदस्य मतदान केंद्र समिति के पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों के साधारण बहुमत के आधार पर होगा

अनुच्छेद IV (इ) विधानसभा स्तर पार्टी इकाइयाँ

a) विधानसभा स्तर का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से पदेन सदस्य के साथ ब्लॉक/ नगर पंचायत स्तर समितियों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन क्षेत्र समितियां सामूहिक रूप से एक निर्वाचक क्षेत्र का गठन करेंगी

b) ब्लॉक/ नगर पंचायत स्तर निर्वाचक क्षेत्र के सदस्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र समिति के पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे

c) पार्टी के विधानसभा स्तर इकाइयों में **25** पदाधिकारी**,** जैसा की रूपरेखा संरचना में दिखाया गया है उच्च इकाई के प्रतिनिधि के द्वारा कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव किया जायेगा

d) पार्टी के पार्टी के विधानसभा स्तर इकाई में अतिरिक्त सदस्यों को नामांकित करने की कोई सीमा सुनिश्चित नहीं होगी

चुनाव सर्वसम्मति से होंगे**,** वोट गुप्त मतदान द्वारा लिए जाएंगे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों के साधारण बहुमत के आधार पर होगा और परिणाम तुरंत घोषित किए जाएंगे। यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि कोई भी मतदाता राज्य के सदस्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में**,** संबंधित चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उक्त विधानसभा क्षेत्र समिति के पदाधिकारियों के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होगा।

अनुच्छेद IV (एफ) लोकसभा/ ज़िला स्तर की पार्टी इकाइयाँ

a) पार्टी के लोकसभा/ ज़िला स्तर के निर्वाचित सदस्य लोकसभा समिति का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक लोकसभा/ ज़िला निर्वाचक क्षेत्र का गठन करेंगे।

b) पार्टी के लोकसभा/ ज़िला स्तर इकाइयों में **25** पदाधिकारी**,** जैसा की रूपरेखा संरचना में दिखाया गया है उच्च इकाई के प्रतिनिधि के द्वारा कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव किया जायेगा

c) पार्टी के पार्टी के लोकसभा/ ज़िला स्तर इकाई में अतिरिक्त सदस्यों को नामांकित करने की कोई सीमा सुनिश्चित नहीं होगी

सदस्यगण उक्त निर्वाचक क्षेत्र के सदस्य लोकसभा/ ज़िला समिति के पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। जब तक चुनाव सर्वसम्मति से न हो, वोट गुप्त मतदान द्वारा लिए जाएंगे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों के साधारण बहुमत के आधार पर होगा और परिणाम तुरंत घोषित किए जाएंगे संबंधित लोकसभा/ज़िला के भीतर विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष लोकसभा समिति के पदेन सचिवालय सदस्य के रूप में होगा।

अनुच्छेद IV (जी) मंडल / सेक्टर ज़ोन स्तर पार्टी इकाइयाँ

a) मंडल/सेक्टर ज़ोन मूल निकाय का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से विभिन्न लोकसभा समितियों के निर्वाचित सदस्य सामूहिक रूप से एक निर्वाचक मंडल/ सेक्टर ज़ोन का निर्माण करेंगे।

b) लोकसभा/ ज़िला स्तर इकाई के सदस्य मंडल/सेक्टर ज़ोन कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे।

c) पार्टी के मंडल/सेक्टर स्तर इकाइयों में **25** पदाधिकारी**,** जैसा की रूपरेखा संरचना में दिखाया गया है उच्च इकाई के प्रतिनिधि के द्वारा कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव किया जायेगा

d) पार्टी के पार्टी के मंडल/सेक्टर स्तर इकाई में अतिरिक्त सदस्यों को नामांकित करने की कोई सीमा सुनिश्चित नहीं होगी

पदाधिकारियों का चुनाव चुनाव सर्वसम्मति होगा**,** वोट गुप्त रूप से लिए जाएंगे मतपत्र चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों के साधारण बहुमत के आधार पर होगा और परिणाम तुरंत घोषित किए जाएंगे। मंडल/सेक्टर अध्यक्ष हमेशा राज्य कार्यकारी समिति के पदेन सचिवालय सदस्य होंगे। लेकिन**,** किसी भी नीति निर्धारण निर्णय के मामले में उक्त राज्य कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के चुनाव के अलावा पदेन सदस्य को मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा।

अनुच्छेद IV (एच) राज्य स्तर पार्टी इकाइयाँ

a) राज्य स्तर इकाई मूल निकाय का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से विभिन्न मंडल/सेक्टर समितियों के निर्वाचित सदस्य सामूहिक रूप से एक निर्वाचक राज्य स्तर का निर्माण करेंगे

b) पार्टी के राज्य स्तर इकाइयों में **25** पदाधिकारी**,** जैसा की रूपरेखा संरचना में दिखाया गया है उच्च इकाई के प्रतिनिधि के द्वारा कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव किया जायेगा

c) पार्टी के राज्य स्तर इकाई में अतिरिक्त सदस्यों को नामांकित करने की कोई सीमा सुनिश्चित नहीं होगी

सदस्य राज्य कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। जब तक चुनाव सर्वसम्मति से न हो, वोट गुप्त रूप से लिए जाएंगे मतपत्र चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों के साधारण बहुमत के आधार पर होगा और परिणाम तुरंत घोषित किए जाएंगे। राज्य स्तर अध्यक्ष हमेशा राज्य कार्यकारी समिति के पदेन सचिवालय सदस्य होंगे। लेकिन, किसी भी नीति निर्धारण निर्णय के मामले में उक्त राज्य कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के चुनाव के अलावा पदेन सदस्य को मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा।

अनुच्छेद IV (आई) केंद्रीय समिति

a) पार्टी कार्यकारिणी द्वारा तय की जा रही संख्या पार्टी के गठन 100 मुख्य सदस्यों के आधार पर पार्टी कार्यकारिणी में केंद्रीय समिति का चुनाव किया जाएगा

b) केंद्रीय समिति में मुख्य पदाधिकारी के तौर पर 25 पदाधिकारी होंगे जो पार्टी के गठन के समय सम्मिलित हुए थे जैसा की संविधान की रूपरेखा संरचना में दिखाया गया है

c) निवर्तमान केंद्रीय समिति कार्यकारिणी को उम्मीदवारों के एक पैनल का प्रस्ताव देगी तथा आवश्यकता अनुसार गठन भी करेगी

d) कोई भी प्रतिनिधि प्रस्तावित पैनल में किसी भी नाम के संबंध में आपत्ति उठा सकता है और साथ ही कोई नया नाम या नाम प्रस्तावित कर सकता है, लेकिन जिस सदस्य का नाम प्रस्तावित है उसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तथा जिसका नाम प्रस्तावित किया गया है उसे वापस लेने का अधिकार प्राप्त होगा।

e) प्रस्तावित पैनल, प्रतिनिधियों द्वारा अतिरिक्त नामांकन के साथ, गुप्त मतदान द्वारा और एकल वितरण वोट की विधि द्वारा मतदान किया जाएगा। यदि कोई अतिरिक्त नामांकन नहीं होता है, तो प्रतिनिधियों का हाथ दिखाकर अनुमोदन लिया जाएगा।

f) केंद्रीय समिति पार्टी के संविधान को लागू करने और पार्टी कार्यकारिणी द्वारा अपनाए गए राजनीतिक निर्णयों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी

g) केंद्रीय समिति समग्र रूप से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगी और पार्टी के पूरे कार्य को निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार होगी। केंद्रीय समिति को पार्टी के सामने आने वाले किसी भी प्रश्न पर पूर्ण अधिकार के साथ निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होगा।

h) केन्द्रीय समिति अपने सदस्यों में से आवश्यकता अनुसार एक पोलित ब्यूरो का चुनाव करेगी जिसमे 25 पदाधिकारी होंगे ।

i) पार्टी के पोलित ब्यूरो के पास अपने दो सत्रों के बीच केंद्रीय समिति का काम और अधिकार है की दो बैठकों के बीच राजनीतिक और संगठनात्मक निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होगा

j) केंद्रीय समिति अपने सदस्यों में से आवश्यकता अनुसार सचिवालय का चुनाव कर सकेगी सचिवालय के सदस्यों की संख्या 25 पदाधिकारी सहित केंद्र द्वारा तय की जाएगी, पोलित ब्यूरो के मार्गदर्शन में, पार्टी केंद्र के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को देखना और केंद्रीय समिति के निर्णयों के कार्यान्वयन में पोलित ब्यूरो की सहायता करना शामिल होगा

k) राज्य समितियों के सचिवों तथा राज्य के समस्त प्रकार के प्रकोष्ठों के पदाधिकारी कार्यकारिणी और राज्य के संपादकों का चुनाव पार्टी के अंगों को केंद्रीय समिति के अनुमोदन की आवश्यकता पर होगी।

l) मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अनुशासन का उल्लंघन, कदाचार या पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए

m) केंद्रीय समिति किसी भी सदस्य को सकल के लिए अपने आप पद से हटा सकेगी

n) पार्टी अपने कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से इसकी संरचना में होने वाली किसी भी रिक्ति को भर सकेगी

o) यदि केंद्रीय समिति के सदस्य या सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है तो शेष सदस्य स्थानापन्न सदस्य या सदस्यों को शामिल कर सकते हैं और उन्हें मूल सदस्यों के रूप में पूरा अधिकार होगा, लेकिन गिरफ्तार सदस्यों के रिहा होने और अपने कर्तव्यों को संभालने के बाद उन्हें अपना स्थान खाली कर देना होगा।

p) केंद्रीय समिति की दो बैठकों के बीच का समय सामान्य रूप से नहीं होगा तीन महीने से अधिक हो और जब भी इसके कुल सदस्यों में से एक तिहाई कोई मांग करे तो इसकी बैठक संपन्न होगी।

q) केंद्रीय समिति राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों और जन आंदोलनों की समस्याओं पर चर्चा और निर्णय करेगी और जन संगठनों में राज्य समितियों और अखिल भारतीय पार्टी के अंशों का मार्गदर्शन करेगी।

r) केंद्रीय समिति पार्टी के वित्त के लिए जिम्मेदार होगी और वर्ष में एक बार पोलित ब्यूरो द्वारा इसे प्रस्तुत किए गए खातों के विवरण को अपनाएगी

s) केंद्रीय समिति अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक रिपोर्ट पार्टी कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करेगी, जब बैठक बुलाई जाएगी।

t) पार्टी के क्रांतिकारी नेतृत्व को मजबूत करने और राज्य और लोकसभा संगठनों पर जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, केंद्रीय समिति प्रतिनिधियों और आयोजकों को भेजेगी, जिन्हें हर बार केंद्रीय समिति या पोलित ब्यूरो द्वारा निर्धारित विशेष निर्देशों के आधार पर काम करना होगा|

u) केंद्रीय समिति जब आवश्यक समझे तो एक विस्तारित बुला सकती है केंद्रीय समिति ऐसे निकायों के लिए प्रतिनिधियों की उपस्थिति और चुनाव की पद्धति का आधार तय करेगी।

v) आपात स्थिति या बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी के मामले में, केंद्रीय समिति, राज्य समितियों और जिला / लोकसभा समितियों को छोटे कॉम्पैक्ट निकायों में पुनर्गठित किया जाएगा। केंद्रीय समिति के ऐसे पुनर्गठन के लिए नाम शेष सदस्यों द्वारा तैयार किए जाएंगे

w) राज्य और जिला/ लोकसभा समितियों के पुनर्गठन के लिए नाम संबंधित समितियों के शेष सदस्यों द्वारा तैयार किए जाएंगे और उन्हें उनकी अगली उच्च समिति द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे वे अपने कार्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आवश्यकतानुसार उप-समितियां बना सकेगें।

x) केंद्रीय समिति को पुनर्गठित पार्टी संगठन की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाने का अधिकार होगा। लेकिन जब स्थिति सामान्य होगी तो निर्वाचित समितियों को बहाल कर दिया जायेगा।

अनुच्छेद IV (जे) चुनाव प्रक्रिया

रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र प्राप्त करने के बाद उनकी जांच करेगा और निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर किसी भी नामांकन पत्र को अस्वीकार/ रद्द कर सकेगा

a. उम्मीदवार के डिफाल्टर, बहरूपिया, दिवालिया होने पर चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं हो सकेगा

b. उम्मीदवार द्वारा जमा किया गया नामांकन पत्र विधिवत हस्ताक्षरित नहीं हो और विवरण में गलत जानकारी भरी गई हो और उसका नाम पार्टी कार्यकारिणी द्वारा तैयार की गई सक्रिय सदस्य सूची में भी न हो

c. जिस उम्मीदवार के नामांकन वैध पाए जाएंगे पार्टी कार्यकारिणी के रिटर्निंग अधिकारी जांच के बाद उन उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित करेंगे

d. उम्मीदवार चुनाव के मामले में, चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा और परिणाम साधारण बहुमत से निर्धारित किया जाएगा।

e. पार्टी कार्यकारिणी के केवल वे ही सदस्य जो डिफॉल्टर, बहरूपिया, दिवालिया नहीं हैं, वोट डालने के पात्र होंगे।

f. एक मतदाता केवल एक वोट ही डालेगा एक से अधिक मत डालने पर केवल एक ही मत को शामिल किया जाएगा

g. उपरोक्त चुनाव नियम उन सभी उप-चुनावों पर भी लागू होंगे जो नियमित संगठनात्मक चुनाव के बीच हो सकते हैं।

अनुच्छेद IV (के) चुनाव मशीनरी

a. राज्य रिटर्निंग अधिकारी और उनके अधीन अन्य सभी रिटर्निंग अधिकारी, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नियुक्त गया हो, पार्टी कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य होंगे

b. जिला/लोकसभा रिटर्निंग अधिकारी अपने कार्यालय जिला/लोकसभा पार्टी कार्यकारिणी के संबंधित मुख्यालयों में स्थापित करेंगे।

c. रिटर्निंग ऑफिसर राज्य में सभी पार्टी कार्यकारिणी चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। वह पार्टी कार्यकारिणी के परामर्श से चुनाव के लिए समय सारिणी तय करेगा। वह चुनाव के उचित संचालन और उसके तहत नियमों के लिए आवश्यक निर्णय लेगा।

d. पार्टी कार्यकारिणी के अध्यक्ष को इस बात से संतुष्ट होने पर कि रिटर्निंग अधिकारी अपने कार्यालय के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है, एक रिटर्निंग अधिकारी को पद से हटाने के लिए सक्षम होगा बशर्ते कि इस तरह की कार्रवाई से पहले उचित अवसर दिया गया हो उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए दिया जाएगा।

e. रिटर्निंग अधिकारी किसी भी जिला/लोकसभा रिटर्निंग अधिकारी या किसी अन्य चुनाव अधिकारी को हटा सकता है यदि वह असंतुष्ट है कि जिला/लोकसभा रिटर्निंग अधिकारी अपने कार्यालय के अनुकूल तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है बशर्ते कि ऐसी कार्रवाई से पहले उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए उसे उचित अवसर दिया जाएगा।

f. रिटर्निंग ऑफिसर या किसी अन्य अधिकारी को पार्टी कार्यकारी समिति की अनुमति के बिना अपने किसी भी कार्य या पद को सौंपने की शक्ति नहीं होगी।

g. निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों को उनके संबंधित क्षेत्रों में रिटर्निंग अधिकारी या किसी अन्य चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

h. जिला/लोकसभा निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन जिला/लोकसभा में सभी पार्टी कांग्रेस चुनावों के संचालन के लिए एक जिला/लोकसभा रिटर्निंग अधिकारी जिम्मेदार होगा। वह जिला/लोकसभा पार्टी कांग्रेस कार्यकारिणी के परामर्श से और जिला/लोकसभा में रिटर्निंग अधिकारी, मतदान और अन्य अधिकारियों के अनुमोदन से नियुक्त करेगा।

i. उम्मीदवार द्वारा पार्टी कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नामांकन पत्र संबंधित जिला/लोकसभा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल किया जाएगा।

j. मतदान की समाप्ति पर, संबंधित मतदान अधिकारी- प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की गणना करेंगे और रिटर्निंग अधिकारी को आंकड़ों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे

k. प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या से संबंधित आंकड़े प्राप्त होने पर, रिटर्निंग अधिकारी परिणाम घोषित करेंगे

l. हाथ दिखाकर मतदान होने की स्थिति में बैठक में उपस्थित पात्र सदस्य किसी विशेष उम्मीदवार के समर्थन में हाथ उठायेंगे जिसकी गणना रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जायेगी और इसके तुरंत बाद ही परिणाम घोषित किए करेंगे

m. पार्टी दल अपने पंजीकरण के 5 वर्षों के अंदर निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाने वाले चुनाव लड़ेगा तथा उसके पश्चात चुनाव लड़ना जारी रखेगा

n. पार्टी दल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान पार्टी अपने लेखों की लेखा परीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट से अवश्यक करवाएगी तथा इसकी प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के अंदर निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेगी

अनुच्छेद IV (एल) चुनाव समिति की शक्ति और कार्य

a. विधायक /संसद/स्थानीय निकायों/पंचायतों आदि के चुनाव के लिए इच्छुक उम्मीदवार/उम्मीदवारों के आवेदनों की जांच करेगा।

b) उम्मीदवार के जीतने की संभावना के आधार पर उम्मीदवारी की पात्रता का निर्धारण करेगा।

c) पार्टी कार्यकारिणी के अध्यक्ष के लिए किसी भी चुनाव के निर्वाचन क्षेत्र के चयनित उम्मीदवारों की सूची अग्रेषित करेंगे

अनुच्छेद IV (एम) पार्टी के प्रकोष्ठ / विंग

1) युवा प्रकोष्ठ
2) महिला प्रकोष्ठ
3) विकलांगता प्रकोष्ठ
4) छात्र, छात्रा, शिक्षक प्रकोष्ठ
5) किसान प्रकोष्ठ
6) व्यापार प्रकोष्ठ
7) बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ
8) वैज्ञानिक प्रकोष्ठ
9) अधिवक्ता प्रकोष्ठ
10) एनजीओ प्रकोष्ठ

11) चिकित्सा प्रकोष्ठ

12) मीडिया प्रकोष्ठ

13) आई.टी सेल प्रकोष्ठ

14) प्रशासन प्रकोष्ठ

15) चुनाव प्रकोष्ठ

16) ग्रंथ सूची प्रकोष्ठ

17) गोपनीय प्रकोष्ठ

18) कार्यालय प्रकोष्ठ

19) सदस्यता प्रकोष्ठ

20) स्वच्छता प्रकोष्ठ

21) ग्राम प्रधान प्रकोष्ठ

22) आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ

23) मनोरंजन प्रकोष्ठ

24) श्रम और रोजगार प्रकोष्ठ

25) भ्रष्टाचार निवारण प्रकोष्ठ

अनुच्छेद IV (एन) प्रकोष्ठों के लिए नियम

a. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी प्रकोष्ठों के लिए अखिल भारतीय अध्यक्षों को मनोनीत करेंगे।

b. पार्टी के राज्य अध्यक्ष उस प्रकोष्ठ के अखिल भारतीय अध्यक्ष की सलाह से एक प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष को नामित करेंगे।

b) पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी प्रकोष्ठों के लिए अखिल भारतीय अध्यक्षों को नामित करेंगे।

प्रकोष्ठ की अखिल भारतीय कार्य समिति में निम्न शामिल होंगे:

a) प्रकोष्ठ के सभी राज्य अध्यक्ष तथा सदस्य उस प्रकोष्ठ के अखिल भारतीय अध्यक्ष द्वारा नामित 25 से अधिक सदस्य नहीं हो सकेगें

b) अखिल भारतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अपने प्रकोष्ठ के **25** पदाधिकारियों को नामित करेंगे।

c) पार्टी लोकसभा/ ज़िला अध्यक्ष प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से प्रकोष्ठ के लोकसभा/ज़िला अध्यक्ष को मनोनीत करेंगे। यदि सहमति प्राप्त नहीं की जा सकी तो प्रदेश अध्यक्ष ही लोकसभा/ ज़िला अध्यक्षको मनोनीत करेंगे

प्रकोष्ठ की राज्य कार्य समिति में निम्न शामिल होंगे:

a) उस प्रकोष्ठ के सभी जिला/ लोकसभा पदाधिकारी तथा सदस्य उस प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष द्वारा नामित 25 से अधिक पदाधिकारी नहीं हो सकेगें

b) पार्टी मंडल/ सेक्टर जोन अध्यक्ष उस प्रकोष्ठ के लोकसभा/ ज़िला अध्यक्ष की सहमति से एक प्रकोष्ठ के लोकसभा/ ज़िला अध्यक्ष को मनोनीत करेंगे। यदि सहमति नहीं ली जा सकी तो पार्टी के मंडल अध्यक्ष लोकसभा/ ज़िला प्रकोष्ठ अध्यक्ष को मनोनीत करेंगे

c) अखिल भारतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अपने प्रकोष्ठ के **25** पदाधिकारियों को नामित करेंगे।

प्रकोष्ठ की जिला/ लोकसभा प्रकोष्ठ में निम्न शामिल होंगे:

a) प्रकोष्ठ के सभी लोकसभा/ ज़िला अध्यक्ष तथा उस प्रकोष्ठ के लोकसभा/ ज़िला अध्यक्ष द्वारा नामित 25 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते।

b) जिला/ लोकसभा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अपनी प्रकोष्ठ के सदस्यों में से अधिक से **25** पदाधिकारियों को नामित करेंगे।

c) पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रकोष्ठों के जिला/ लोकसभा अध्यक्षों, पदाधिकारियों पार्टी के जिलाध्यक्ष/ लोकसभा द्वारा मनोनीत किया जायेगा

विभिन्न स्तरों पर एकत्रित की गई निधियों को निम्नानुसार विभाजित किया जाएगा:

a) प्रकोष्ठ के लिए राशि संबंधित पदाधिकारी के पास जमा की जाएगी निधियां संबंधित पार्टी द्वारा जारी की गई पार्टी रसीद बुक पर ही एकत्रित की जाएंगी, जिन पर प्रकोष्ठ की मुहर लगी होगी।

b) पार्टी खाता एक अलग शीर्ष के तहत और केवल उस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की सहमति से खर्च किया जाएगा।

c) प्रकोष्ठ और समितियों द्वारा जिला/ लोकसभा स्तर तक प्रकोष्ठ द्वारा एकत्र की गई कुल राशि का 25% उस प्रकोष्ठ के जिला/ लोकसभा निधि में स्थानांतरित किया जाएगा

d) प्रकोष्ठ और समितियों द्वारा राज्य स्तर तक एक प्रकोष्ठ द्वारा एकत्र की गई कुल राशि का 10% उस प्रकोष्ठ के राज्य स्तर निधि में स्थानांतरित किया जाएगा

e) प्रकोष्ठ और समितियों, गतिविधियों के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधियां संबंधित पार्टी इकाइयों की जिम्मेदारी होगी।

प्रकोष्ठों का संचालन निम्न प्रकार किया जाएगा:

a) राष्ट्रीय/राज्य पार्टी अध्यक्ष की सहमति से अखिल भारतीय/राज्य अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, एक प्रकोष्ठ के अनुशासन के उल्लंघन का मामला होने पर, प्रकोष्ठ के किसी भी सदस्य या इकाई को निलंबित कर सकेगें ।

b) राष्ट्रीय/राज्य पार्टी अध्यक्ष के संज्ञान में जायेगा और पीड़ित इकाई के सदस्य को नोटिस दिया जाएगा और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाएगा तब मामला केंद्रीय/राज्य पार्टी अनुशासन समिति को भेजा जाएगा ।

c) प्रकोष्ठ की सभी गतिविधियां पार्टी के संविधान और नियमों द्वारा शासित वा संचालित होंगी।

d) केवल पार्टी के सक्रिय सदस्य ही अखिल भारतीय कार्य समिति, राज्य कार्य समितियों और प्रकोष्ठ की जिला कार्य समितियों के सदस्य बनने के पात्र होंगे।

अनुच्छेद 5/V दल के पदाधिकारी

अनुच्छेद V (ए) पार्टी / संगठन पदाधिकारी तथा पार्टी अनुशासन

1. प्रभारी
2. उपप्रभारी
3. नियंत्रक
4. उपनियंत्रक
5. सलाहकार
6. उपसलाहकार
7. अध्यक्ष
8. उपाध्यक्ष
9. महासचिव
10. सचिव
11. महाप्रवक्ता
12. प्रवक्ता
13. गोपनीयक
14. उपगोपनीयक
15. कोषाध्यक्ष
16. उपकोषाध्यक्ष
17. मीडिया प्रभारी
18. उपमीडिया प्रभारी
19. सह-मीडिया प्रभारी
20. संग्राहक
21. उपसंग्राहक
22. संदेशक
23. उपसंदेशक
24. प्रोत्साहक
25. उपप्रोत्साहक

अनुच्छेद V (बी) प्रभारी के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ

a) पार्टी की योजनाओं और उद्देश्यों के अनुपालन के तरीकों और समय सीमा के लिए लक्ष्य निर्धारित करना

b) कार्यक्रमों का आयोजन और यह सुनिश्चित कराना कि पदाधिकारी अपने कर्तव्यों या प्रत्यायोजित कार्यों को समझें

c) पार्टी की रणनीतियों को निगरानी करते हुए पदाधिकारी को मार्गदर्शन और रचनात्मक प्रतिक्रिया तथा ऑनलाइन कोचिंग प्रशिक्षण प्रदान करना

d) निवारक रखरखाव आवश्यकताओं और सेवा अनुबंधों की स्थापना, रणनीतियों की सूची को बनाए रखने और नए रणनीतियों और तकनीकों का मूल्यांकन करके रणनीतियों के संचालन को सुनिश्चित करना है।

e) प्रशिक्षण /कोचिंग, परामर्श और पदाधिकारी को अनुशासित करके वित्तीय स्टाफ की नीति के परिणाम बनाए रखना, नीति के परिणामों की योजना, निगरानी और मूल्यांकन करना।

f) पार्टी पदाधिकारी की भर्ती, चयन, उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण कर्मचारियों द्वारा वित्तीय पदाधिकारी को बनाए रखना है।

अनुच्छेद V (सी) उपप्रभारी के काम तथा जिम्मेवारियां

पार्टी के प्रभारी की अनुपस्थिति में प्रावधान में बताए गए प्रभारी के समस्त अधिकार समस्त कार्य दायित्व जिम्मेवारी उप प्रभारी के पास ही सुरक्षित होंगी

अनुच्छेद V (डी) नियंत्रक के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ

a) पार्टी की वित्तीय नीतियों, प्रक्रियाओं, नियंत्रणों और रिपोर्टिंग सिस्टमों की स्थापना करके वित्तीय परिसंपत्तियों पर अधिकतम प्रतिपूर्ति कराना

b) पार्टी की नीतियों और प्रक्रियाओं की स्थापना, निगरानी और उन्हें लागू करके निर्णय लेना।

c) पार्टी की आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना, निगरानी और उन्हें लागू करके पार्टी की संपत्ति की रक्षा करना।

d) पार्टी की ऑडिट आयोजित करके और बाहरी लेखा परीक्षकों को जानकारी प्रदान करके वित्तीय स्थिति की निगरानी और पुष्टि करना

e) पार्टी की बैंक बैलेंस को कम करने और निवेश करने से नकदी पर जोखिम को अधिकतम और सीमित करना।

f) पार्टी शेड्यूल स्थापित करके बजट तैयार करना, वित्तीय डेटा एकत्र करना, विश्लेषण करना और समेकित करना, योजनाओं की सिफारिश करना।

g) पार्टी व्यय का समय निर्धारण करके बजट के उद्देश्यों को प्राप्त करना, विश्लेषण करने वाले संस्करण, सुधारात्मक कार्यवाही शुरू करना।

h) पार्टी वित्तीय आंकड़ों को एकत्रित, व्याख्या और रिपोर्ट करके वित्तीय स्थिति की स्थिति प्रदान करना।

i) मौजूदा नए कानून का अध्ययन करके, भविष्य के कानून का अनुमान लगाने, आवश्यकताओं का पालन करने, वित्तीय रिपोर्ट दाखिल करने और आवश्यक कार्यों पर प्रबंधन को सलाह देकर संघीय, राज्य और स्थानीय कानूनी आवश्यकताओं के साथ काम करना।

j) पदाधिकारी की समय-सारिणी और असाइनमेंट द्वारा परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करना

k) वित्तीय जानकारी और योजनाओं को गोपनीय रखकर संचालन की सुरक्षा करना है।

अनुच्छेद V (इ) उपनियंत्रक के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ

पार्टी के नियंत्रक की अनुपस्थिति में प्रावधान में बताए गए नियंत्रक के समस्त अधिकार समस्त कार्य दायित्व जिम्मेवारी उपनियंत्रक के पास ही सुरक्षित होंगी

अनुच्छेद V (एफ) सलाहकारों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

पार्टी में सलाहकार की भूमिका एक निष्क्रिय के बजाय एक सक्रिय होगी और सलाह देने की प्रक्रिया के लिए सलाह के रूप में सौंपे गए प्रत्येक साथी के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना आवश्यक होगा

a) पार्टी के प्रत्येक सम्मेलनों व बैठकों में नियोजन के माध्यम से यथार्थवादी राजनीतिक भविष्य योजनाओं को परिभाषित करना और विकसित करने में पदाधिकारियों की मदद करना।

b) पार्टी राजनीतिक भविष्य के लिए प्रारंभिक पहले वर्ष में विशेष सत्र निर्धारित कराना तथा समायोजन के साथ पदाधिकारियों की शासनिक व प्रशासनिक सहायता करना

c) पार्टी के सलाहकार अपनी क्षमताओं और रुचियों के अनुरूप कार्यक्रम की योजना बनाने में साथियों की शासनिक व प्रशासनिक सहायता करना

d) पार्टी के राजनीतिक के लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी करना और प्रस्तावित राजनीतिक कार्यक्रम को पूरा करना और ग्रेड और अन्य प्रदर्शन संकेतकों पर चर्चा करने की दिशा में प्रगति की समीक्षा करना

e) पार्टी के निर्देशात्मक कार्यक्रम और व्यवसाय / राजनीति के बीच संबंधों पर चर्चा सुदृढ़ करना।

f) पार्टी नीतियों, प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं के लिए व्याख्या करना और औचित्य प्रदान करना।

g) पार्टी सलाहकार एक व्यक्ति के रूप में पदाधिकारियों में व्यक्तिगत राजनीतिक रुचि को रेखांकित करने के लिए अनौपचारिक कार्यालय संपर्क बनाने का प्रयास करना

h) पार्टी के अप-टू-डेट सलाह देने वाले पोर्टफोलियो को बनाए रखना, रिपोर्ट, प्रतिलेख, आवश्यकताओं को पूरा करना

i) पार्टी के पदाधिकारियों से नियमित रूप से संपर्क बनाए रखना और नियमित रूप से पदाधिकारियों की सलाह के लिए उपलब्ध रहना

j) अप-टू-डेट जानकारी रखने के लिए पार्टी के सहयोगियों के साथ नियमित रूप से परामर्श करना पार्टी के राजनीतिक विकल्पों के लिए, पदाधिकारियों को कैरियर विकास केंद्र को सलाह का उल्लेख करना

अनुच्छेद V (जी) उप सलाहकारों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

पार्टी के सलाहकार की अनुपस्थिति में प्रावधान में बताए गए सलाहकार के समस्त अधिकार समस्त कार्य दायित्व जिम्मेदारियां उपसलाहकार के पास ही सुरक्षित होंगी

अनुच्छेद V (एच) अध्यक्ष के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ

a) अध्यक्ष सामान्य पार्टी निकाय की अध्यक्षता और संचालन करेगा और कार्यकारिणी समिति की बैठकें संपन्न कराएगा।

b) पार्टी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना.

c) पार्टी का पारित बजट के अंतर्गत व्यय की स्वीकृति देना.

d) पार्टी सदस्यों के नामांकन पर विचार ,सदस्य बनने की अनुमति प्रदान करना.

e) पार्टी समान मत होने पर निर्णायक मत देना.

f) पार्टी बैठक में शांति व्यवस्था कायम रखना.

g) पार्टी का समस्त ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कोई भी माध्यम हो पत्र व्यवहार करना.

h) पार्टी मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना ,अभिलेख ,प्रपत्र सुरक्षित रखना.

i) पार्टी के लिए राजकीय सहायता अनुदान ऋण प्राप्त करना.

j) पार्टी की समस्त चल अचल संपत्ति की रक्षा करना ,उस पर नियंत्रण रखना.

k) पार्टी के वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति ,निष्कासन ,पदोन्नति ,वेतन वृद्धि ,निलंबन व बहाली करना.

l) पार्टी की स्वीकृति की प्रत्याशा में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना.

m) पार्टी की ऑडिट व्यवस्था करना.

n) पार्टी से सम्बन्धित समस्त बिल व वाउचरों अनुबंध पत्रों ,आहरण पत्रों ,नियुक्ति पत्रों ,लेखों-विलेखों ,बंधन पत्रों ,ऋण पत्रों ,डिमांड पत्रों ऑनलाइन नेट बैंकिंग को देखते हुए क्रेडिट, डेबिट कार्ड को शामिल करते हुए आदि पर हस्ताक्षर तथा अनुमति प्रदान करना.

o) पार्टी की ओर से सहायक सलाहकार के तौर पे अदालती कार्यवाही करना.

p) पार्टी की भविष्य हेतु प्रादेशिक मांगों के अनुसार गोपनीय रणनीतियों की लगातार योजनाएं बनाना

q) पार्टी की नीतियों और प्रक्रियाओं का विकास, प्रवर्तन और पुनर्मूल्यांकन करना।

r) पार्टी की नियमित रूप से बजट और वित्तीय रिपोर्ट का विश्लेषण करना।

s) पार्टी की लाभप्रदता बढ़ाने और प्रगति के शीर्ष पर बने रहने के लिए लगातार योजना बनाना।

t) पार्टी की बैंकरों और अन्य समुदाय और उद्योग के नेताओं के साथ संबंध बनाएं रखना

u) पार्टी की बैठकों की समीक्षा करना और अनुबंधों पर सलाह देना

v) निवेश / निवेशकों, भागीदारी, गठबंधनों और विलय के अवसरों की लगातार तलाश करना।

w) आत्मविश्वास के साथ पार्टी का नेतृत्व करने के लिए नेतृत्व मुद्रा और निर्णय लेने का कौशल प्रदर्शित ग्रहण व प्रदान करना।

x) पार्टी की कार्रवाइयों के कर देनदारियों, निहितार्थ और छूट पर ध्यान देना।

y) पार्टी के निदेशक मंडल को रिपोर्ट करना और बोर्ड की बैठकों में अध्यक्षता की जिम्मेवारी लेना।

अनुच्छेद V (आई) उपाध्यक्ष के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ

उपाध्यक्ष के पास अपने पार्टी की जरूरतों के आधार पर विशिष्ट जिम्मेदारियां होंगी

a) अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग देना.

b) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके प्रदत्त दायित्वों की पूर्ति करना

c) पार्टी की महत्वपूर्ण प्रमुख इकाइयाँ, विभाग या संचालन, संगठन में परिचालन का प्रबंधन करना

d) पार्टी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और पार्टी के लिए प्रतिबद्धता बनाना, जिसके लिए पार्टी कानूनी रूप से उत्तरदायी है।

e) पार्टी के पदाधिकारियों के नेतृत्व वाली टीम में भाग लेना जो संगठन के समग्र दृष्टिकोण, मिशन, मूल्यों, विश्वासों और रणनीतिक लक्ष्यों को आसान बनाना हो

f) पार्टी के समस्त प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की कार्यप्रणाली की निगरानी करना, आवश्यकता अनुसार आदेशित करना तथा लीडर्स के काम का मूल्यांकन करते रहना।

g) पार्टी के रणनीतिक योजना को तैयार करना और लागू करना जो एक टीम के व्यवसाय की दिशा या कार्यात्मक जिम्मेदारी के क्षेत्र को निर्देशित करना

h) पार्टी की सफलता का मूल्यांकन करना जैसे पार्टी उस समग्र सफलता को प्राप्त करती हो जिसके लिए बजट, की योजना बनाना

i) दोनों बाहरी और आंतरिक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य, विस्तार के अवसर, और नए उद्योग के विकास और मानकों के बारे में जागरूकता बनाए रखना किसी भी अवसर के बारे में जागरूक रहना

अनुच्छेद V (जे) महासचिव के कार्य व कर्तव्य तथा जिम्मेदारियाँ

a) पार्टी की कार्यकारणी, केंद्रीय समिति, कार्यकारी समिति या वित्त समिति, महासचिव के निर्देश के अधीन होंगी

b) पार्टी के महासचिव कार्यकारणी, केंद्रीय समिति और कार्यकारी समिति की नीति और निर्णय को लागू करेगा

c) पार्टी के महासचिव निरंतर और हर दृष्टि से फेडरेशन के हितों की रक्षा करेगा और उसका कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा

d) क्षेत्रीय और परियोजना प्रतिनिधि प्रतिनिधियों की नियुक्ति सहित संचालन और निर्देशन और सभी कर्मचारियों और अन्य कर्मियों के मुद्दों को संभालने सहित फेडरेशन के सामान्य प्रशासक के रूप में कार्य करेगा

e) पार्टी के महासचिव कार्यकारणी से पहले, सम्मेलन की तैयारी के काम के लिए केंद्रीय समिति द्वारा स्थापित समितियों की बैठकें बुलाएगा

f) पार्टी के फेडरेशन के वित्तीय प्रशासन को प्रत्यक्ष करना, जिसमें संबद्धों से वार्षिक बकाया राशि का संग्रह शामिल है, और फेडरेशन को शामिल करते हुए सभी वित्तीय और अन्य व्यावसायिक राजनीतिक संचालन और लेनदेन को प्रत्यक्ष और कार्यान्वित करेगा

g) पार्टी के महासचिव सभी उचित वित्तीय खातों और रिकॉर्ड को चालू रखना, जिसमें फेडरेशन की नीतियों और नियमों के अनुसार सभी आय और संवितरण के संबंध में जानकारी शामिल करेगा

h) पदाधिकारियों जो कि महासचिव के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो उन्हें सौंपे जा सकते हो।

अनुच्छेद V (के) उपसचिव, सहायक सचिव, कोसचिव के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ

a) सदस्यों के नाम रजिस्टर में दर्ज करना, तथा समस्त प्रकार के दस्तावेज पत्राचार करेगा |

b) कंप्यूटर तकनीकी विधि से उनकी आईडी नंबर व रेफरेंस नंबर जनरेट करना तथा उच्च पदाधिकारी को आइडेंटी कार्ड उपलब्ध कराएगा तथा ऑनलाइन माध्यम से टेलिफोनिक कॉल या ईमेल के माध्यम से सभी पदाधिकारी को सूचित करेगा

c) बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करेगा व सुनाएगा

d) तिथियों में अनुमोदन तिथियों में परिवर्तन एवं बैठकों को स्थगित कर सकेगा

e) बैठकों की सूचना सदस्यों , पदाधिकारियों को लिखित रूप में देगा

f) प्रबन्धकारिणी कार्यकारी समिति के निर्णय को कार्यान्वित करेगा

g) सहायक सचिव, जब तक अन्यथा पार्टी के व्यवसाय में शामिल नहीं होंगे, या अनुपलब्ध रहेंगे, कार्यकारणी, केंद्रीय समिति और कार्यकारी समिति की सभी बैठकों में भाग लेंगे। वे ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो अध्याक्ष के सहयोग से महासचिव द्वारा उन्हें सौंपे जा चुके हों

अनुच्छेद V (एल) महाप्रवक्ता के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ

a) विभिन्न प्रकार के मुद्दों व सामाजिक विषयों पर निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यवस्था पर संबंधित जानकारी संक्षेप में आधिकारिक रूप से श्रोताओं के बीच में प्रस्तुत करना

b) पार्टी की विचारधारा उद्देश्यों को विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच रखना

c) पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों रणनीतियों को विभिन्न प्रकार के न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाना।

d) विभिन्न प्रकार के सामाजिक मुद्दों को विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया चैनल न्यूज़ प्लेटफार्म पर पार्टी के फेवर में तीखी बहस करना।

e) पार्टी के ओर से बनाए गए संविधान पार्टी पदाधिकारी पार्टी संरचना स्ट्रक्चर के दायरे में रहते हुए पार्टी के उद्देश्यों पर तीखी बहस करना।

f) विभिन्न प्रकार के सामाजिक मुद्दों पर पार्टी प्रतिपक्ष विपक्ष पर प्रहार करते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाना।

g) विभिन्न प्रकार के पत्राचार सरकारी खबर व अखबार न्यूज़ चैनलों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की डिबेट में बहस के लिए पार्टी की विचारधारा को प्रस्तुत करना

अनुच्छेद V (एम) प्रवक्ता के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ

पार्टी के महाप्रवक्ता की अनुपस्थिति में प्रावधान में बताए गए महाप्रवक्ता के समस्त अधिकार समस्त कार्य दायित्व जिम्मेवारी प्रवक्ता के पास ही सुरक्षित होंगी

अनुच्छेद V (एन) गोपनीयक के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ

a) पार्टी में गोपनीयक की भूमिका सचिवों के द्वारा पास दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखना।

b) पार्टी के पदाधिकारियों का व्यक्तिगत पत्राचार टाइप करना, संवेदनशील कागजी कार्यवाही दायर करना, आसानी से उपलब्ध आंकड़े जुटाना, कुछ प्रकार के मेल खोलना, बजट अपडेट करना, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स को समेटना, कर्मचारी फाइलों का प्रबंधन करना और आंतरिक रिपोर्ट संकलित करना

c) पार्टी की सभाओं में कार्यालय के कर्मचारियों से किसी को नोट्स लेने या प्रस्तुतियाँ करने की आवश्यकता, नेता गोपनीय सचिवों पर भरोसा करना कि वे जो कुछ भी देखते या सुनते हैं, उसका खुलासा किए बिना इन कार्यों को पूरा करना

d) पार्टी के ऊपरी स्तर के सहायकों के रूप में, गोपनीय सचिवों को अक्सर अन्य कार्यालय सहायकों की निगरानी करना, कार्य सौंपना, नए पदाधिकारी को गुप्त प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें प्रतिक्रिया देना

e) सूचनाओं और प्रवृत्तियों का संग्रह, विश्लेषण और सारांश करके विशेष रिपोर्ट तैयार करना है।

अनुच्छेद V (ओ) उपगोपनीयक के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ

पार्टी के गोपनीयक की अनुपस्थिति में प्रावधान में बताए गए गोपनीयक के समस्त अधिकार समस्त कार्य दायित्व जिम्मेदारी उपगोपनीयक के पास ही सुरक्षित होंगी

अनुच्छेद V (पी) कोषाध्यक्ष के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ

a) पार्टी के आय-व्यय का लेखा जोखा रखना समस्त प्रकार के लिखित रूप में दस्तावेज तैयार करना/ कराना

b) पार्टी के दान ,चंदा ,सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना तथा प्राप्त धन बैंक में जमा करना/कराना

c) पार्टी के आकस्मिक कार्य हेतु 50000-/ रूपये तक नकद जमा राशि खाते में शेष रखना

d) पार्टी के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का समय रहते भुगतान करना/कराना

e) ऑनलाइन माध्यम से किए गए ट्रांजैक्शन क्रेडिट व डेबिट कार्ड का विवरण अध्यक्ष को उपलब्ध कराना

अनुच्छेद V (क्यू) उपकोषाध्यक्ष के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ

पार्टी के कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रावधान में बताए गए कोषाध्यक्ष के समस्त अधिकार समस्त कार्य दायित्व जिम्मेवारी उपकोषाध्यक्ष के पास ही सुरक्षित होंगी

अनुच्छेद V (आर) मीडिया प्रभारी के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ

a) पार्टी का उद्देश्य ,पक्ष एवं राय मीडिया के समक्ष रखना तथा मीडिया के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाना.

b) पार्टी अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंसों का आयोजन करना तथा समस्त प्रकार के पत्राचार में पार्टी के विचारधारा नीति को प्रकाशित करना

c) प्रिंट ,इलेक्ट्रॉनिक ,वेब मीडिया एवं पत्रकारों का रिकॉर्ड रखना तथा मीडिया के माध्यम से पार्टी का उद्देश्य जनता तक पहुंचाना

d) समस्त प्रकार के शासनिक, प्रशासनिक अधिकारियों पदाधिकारी का संपर्क सूत्र टेलीफोन ईमेल का विवरण बनाए रखना

e) पार्टी के विकास हेतु अध्यक्ष के निर्देशानुसार पार्टी हित में आवश्यक कार्य करते हुए जनता के विकसित मुद्दों के माध्यम से प्रेस के अवसरों के उचित समय को पहचानना

f) राजनीतिक प्रेस विज्ञप्ति, सोशल मीडिया, वेबसाइटों वेब चैनलों और अन्य वितरण चैनलों के माध्यम से प्रसार के लिए सामग्री विकसित कराना

g) पार्टी के मीडिया संपर्क और औपचारिक प्रवक्ता के रूप में सेवा देते रहना

h) नवीनतम मीडिया रुझानों पर अप-टू-डेट रखने के लिए मीडिया बाज़ार को स्कैन करते रहना

i) ऑनलाइन और ऑफ़लाइन अभियानों की निगरानी करना, और परिणामों पर रिपोर्ट तैयार करना

j) प्रतिस्पर्धी सौदों को बंद करने के लिए मीडिया चैनलों के साथ बातचीत करना

k) पार्टी के सोशल मीडिया प्रोफाइल विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया पर पार्टी के अकाउंट और उपस्थिति का निर्माण और प्रबंधन करना

l) विभिन्न प्रकार के न्यूज़ चैनलों मीडिया प्रभावितों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाएं रखना

m) पार्टी के मीडिया बजट तथा ऑनलाइन पत्राचार का उचित प्रबंधन करना

अनुच्छेद V (एस) उपमीडिया प्रभारी, सहमीडिया प्रभारी के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ

पार्टी के मीडिया प्रभारी की अनुपस्थिति में प्रावधान में बताए गए मीडिया प्रभारी के समस्त अधिकार समस्त कार्य दायित्व जिम्मेवारी उपमीडिया प्रभारी, सहमीडिया प्रभारी के पास ही सुरक्षित होंगी

अनुच्छेद V (टी) संग्राहक के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ

a) पार्टी संग्राहक का मुख्य कार्य पार्टी की ओर से समस्त प्रकार के दस्तावेजों को संरक्षित व सुरक्षित रखना होगा।

b) पार्टी की ओर से समस्त प्रकार की प्रचार सामग्री को विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट या पोस्ट के माध्यम से पदाधिकारी तक पहुंचाना होगा

c) पार्टी की ओर से विभिन्न प्रकार की सामग्री बैनर झंडा होर्डिंग पार्टी कार्यालय में भविष्य है तो उपलब्धता बनाएं रखने की होगी

d) पार्टी की ओर से सदस्यता शुल्क पुस्तक बुकलेट अध्यक्षों तक समय रहते उपलब्ध कराना होगा

e) पार्टी की ओर से किया जा रहे प्रोग्राम में माइक, माला, मंच के संचालन के सामग्री की जिम्मेदारी होगी

f) पार्टी की ओर से किया जा रहे धरना प्रदर्शन आंदोलन समस्त पदाधिकारी के खान- पान भोजन की व्यवस्था बनाए रखने की होगी

अनुच्छेद V (यू) उप संग्राहक के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ

पार्टी के संग्राहक की अनुपस्थिति में प्रावधान में बताए गए संग्राहक के समस्त अधिकार समस्त कार्य दायित्व जिम्मेवारी उपसंग्राहक के पास ही सुरक्षित होंगी

अनुच्छेद V (वी) संदेशक के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ

a) दस्तावेज़ों या वस्तुओं को लेने और वितरित करने के अपने मुख्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेसेंजर विभिन्न कर्तव्यों का पालन करेंगे

b) पार्टी से जुड़े हुए समस्त कार्यक्रम पदाधिकारी के व्यक्तिगत टेलीफोन नंबर तक संपर्क साधना तथा एसएमएस के माध्यम से सूचना पहुंचाना

c) पार्टी की ओर से बनाए गए वॉइस पोर्टल के माध्यम से समस्त पदाधिकारियों को समस्त भारत के राष्ट्रीय पर्व व धार्मिक पर्व पर बधाई प्रेषित करना

d) पार्टी की ओर से बनाए गए वॉइस पोर्टल के माध्यम से समस्त पदाधिकारी को गुप्त रूप से आगामी मोबाइल फोन कॉल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना

e) पार्टी की ओर से देय सभी प्रदेशों की लोकसभा/जिला कार्यकारिणी अध्यक्षों को इमेल लॉगिन आईडी तथा उसके पासवर्ड की उपलब्धता कराना

f) पार्टी की ओर से देय समस्त पार्टी कंप्यूटरीकृत सामग्री जैसे मफलर, पटका, झंडा, टोपी, स्टीकर, टी शर्ट,बैनर, होर्डिंग आदि समस्त पदाधिकारियों को समय रहते आनलाइन उपलब्ध करवाना

g) पार्टी की ओर से चलाए जाने वाले ऑनलाइन एसएमएस पोर्टल की जानकारी हासिल करना व एसएमएस के माध्यम से सभी सदस्यों पदाधिकारियों को पार्टी का संदेश पहुंचाना

h) पार्टी से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारी का पार्टी एसएमएस पोर्टल के माध्यम से उनके जन्म दिवस को बधाई प्रेषित करना

i) पार्टी की सामग्री वितरण प्रक्रिया के बारे में प्राप्तकर्ताओं के सवालों का जवाब देना।

j) पार्टी की सामग्री वितरण पर सभी संबंधित संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना

अनुच्छेद V (डब्ल्यू) उप संग्राहक के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ

पार्टी के संदेशक की अनुपस्थिति में प्रावधान में बताए गए संदेशक के समस्त अधिकार समस्त कार्य दायित्व जिम्मेवारी उप संदेशक के पास ही सुरक्षित होंगी

अनुच्छेद V (एक्स) प्रोत्साहक के कार्य

a) प्रोत्साहक एक राजनीतिक मार्केटिंग पेशेवर होगा जो राजनीतिक की विशेषताओं को दर्शकों या क्लाइंट के लिए प्रदर्शित करने का काम करेगा

b) नए जुड़ने वाले सदस्यों को पार्टी की विचारधारा के प्रति आकर्षित कराने का काम करेगा

c) विभिन्न प्रकार के ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से किए जाने वाले प्रोग्राम में उदाहरण के तौर पर कवि सम्मेलन, मुशायरा, गीत संगीत सम्मेलन में अतिथि के तौर पर पार्टी के उद्देश्यों को जनता के बीच प्रोत्साहित करेगा

d) पार्टी की विचारधारा तथा रणनीतियां व पार्टी के द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों को समाजहित व जनहित में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराना

e) पार्टी के समस्त साथियों सदस्यों पदाधिकारी से पार्टी की रणनीतियों को आगे बढ़ाने हेतु सुझाव मांगना

f) पार्टी की अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सदस्यों के साथ स्थायी संबंध बनाएं रखना, विकल्प सुझाना और उन्हें आगामी राजनीतिक समारोहों के लिए आमंत्रित करना

g) पार्टी की इंटरेक्टिव सामग्री जैसे वीडियो, चार्ट, स्लाइडशो आदि का उपयोग करके पार्टी की रणनीतियों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना

h) सदस्यों के साथ व्यस्त रहना और उनकी इच्छाओं और आवश्यकताओं की खोज करना पार्टी के अधिकृत ऐप के माध्यम से दैनिक रिपोर्ट सबमिट करना

अनुच्छेद V (वाई) उप प्रोत्साहक के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ

पार्टी के प्रोत्साहक की अनुपस्थिति में प्रावधान में बताए गए प्रोत्साहक के समस्त अधिकार समस्त कार्य दायित्व जिम्मेवारी उपप्रोत्साहक के पास ही सुरक्षित होंगी

अनुच्छेद V (ज़ेड) पदाधिकारियों का कार्यकाल

a) पार्टी से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारी प्रकोष्ठों व कार्यक्रम का कार्यकाल 2 दो**,** 3 तीन**,** तथा 4 चार वर्षों में विभाजित किया जाएगा

b) वार्ड नगर ग्राम पंचायत ब्लॉक विधानसभा तथा लोकसभा स्तर की कार्यकारिणियों तथा पदाधिकारी का कार्यकाल मात्र **2** दो वर्ष तक का होगा

c) पांच लोकसभाओं को मिलाकर सेक्टर जॉन/ मंडल लेवल के पदाधिकारी का कार्यकाल **3** वर्ष के लिए मान्य होगा

d) पार्टी के किसी भी प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लेवल की कार्यकारिणी पदाधिकारी का कार्यकाल **4** चार वर्ष तक के लिए मान्य होगा

e) किसी भी कार्यकारणी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति की तिथि के अंतराल हर वर्ष के प्रथम माह **1** एक अप्रैल से प्रथम वर्ष का प्रारम्भ होगा जबकि 31 मार्च को वर्ष की समाप्ति होगी

अनुच्छेद 6/VI विवादों के निपटान एवं अनुशासन के नियम

अनुच्छेद VI (ए) चुनावी विवाद

a) पार्टी कार्यकारणी के कार्यकारी निकाय के पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पार्टी कार्यकारणी कार्य समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा

b) केवल पार्टी कार्यकारणी के मुख्य पदाधिकारियों में से ही संदर्भित याचिका दायर कर सकेगा

c) पार्टी के प्रत्येक चुनाव याचिका ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के भीतर संबंधित जिला/लोकसभा पार्टी कार्यकारणी के अध्यक्ष/ प्रभारी/ नियंत्रक के समक्ष दायर की जाएगी। यदि चुनाव याचिका भरने के समय जिले/लोकसभा में कोई जिला/लोकसभा पार्टी कार्यकारणी कार्य नहीं कर रही है, तो चुनाव याचिका तदर्थ कार्यकारणी के संयोजक को प्रस्तुत की जाएगी।

d) पार्टी कार्यकारणी के पदाधिकारियों और कार्यकारी निकाय के सदस्यों के चुनाव के खिलाफ पार्टी कार्यकारणी की कार्यकारी समिति के समक्ष याचिका दायर की जाएगी। चुनाव याचिका संबंधित पदाधिकारियों को या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है अन्यथा ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी

e) किसी भी कार्यकारणी निकाय के लिए यह सक्षम नहीं होगा कि वह किसी सदस्य या पदाधिकारी को याचिका या अपील के निपटारे के लंबित कार्य करने से रोकने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित कर दे

f) पार्टी कार्यकारणी के कार्यकारी निकाय के निर्णय के खिलाफ अपील पार्टी के अध्यक्ष के समक्ष जिला /लोकसभा पार्टी के कार्यकारी निकाय के निर्णय की घोषणा के 15 दिनों के भीतर की जाएगी. ऐसी सभी अपीलों का निपटारा उनकी प्रस्तुति के तीस 30 दिनों के भीतर किया जाएगा यदि कार्यकारी निकाय और पार्टी कार्यकारणी ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो पार्टी कार्यकारणी कार्य समिति उनके निपटान के लिए उपयुक्त व्यवस्था कर सकेगी

g) पार्टी कार्यकारणी का कार्यकारी निकाय चुनाव याचिकाओं और अपीलों के निपटान के संबंध में पार्टी के संचालन के लिए नियम बनाने के लिए सक्षम होगा, लेकिन पार्टी कार्यकारणी कार्य समिति द्वारा अनुमोदित होने से पहले ऐसे नियमों को लागू नहीं किया जाएगा।

h) उम्मीदवार के अलावा कोई भी व्यक्ति जो चुनाव याचिका या अपील दायर करता है, उम्मीदवार की सहमति के बिना संबंधित कार्यकारी निकाय के समक्ष पैरवी नहीं करेगा।

i) पार्टी कार्यकारणी के कार्यकारी निकाय के निर्णय के खिलाफ अपील कार्यकारी निकाय द्वारा निर्णय की घोषणा के 15 दिनों के भीतर पार्टी कार्यकारणी कार्य समिति के समक्ष दायर की जा सकेगी । पार्टी कार्यकारणी कार्यसमिति गंभीर अनियमितताओं वाले मामलों की ही जांच करेगी।

j) जिस किसी भी सदस्य के खिलाफ अनुशासनहीनता के आरोप लगाए जाते हैं, उस पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कार्यकारी समिति या केंद्रीय कार्यकारी समिति द्वारा मुकदमा चलाया जा सकेगा

k) राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष, जो, यदि वह उचित समझे, अपील को सुनवाई के लिए केंद्रीय कार्यकारी समिति को संदर्भित कर सकते हैं या स्वयं अपील की सुनवाई के लिए आगे बढ़ा सकेगी

l) केन्द्रीय कार्यकारी समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुमोदन पर अपील के मामलों में आदेश जारी कर सकेगी

m) राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश/अनुमोदन/निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

अनुच्छेद VI (बी) अनुशासन के नियम।

निम्नलिखित अनुशासनहीनता के कृत्यों का गठन करेंगे:

a) पार्टी की घोषित नीतियों के विपरीत कार्य करना, पार्टी की नीतियों की खुली और सार्वजनिक आलोचना करना।

b) पार्टी के भीतर एक समूह बनाना या पार्टी के संवैधानिक रूप से नियुक्त पदाधिकारी के अधिकार को चुनौती देने के उद्देश्य से किसी सदस्य को समर्थन देना

c) पार्टी फंड, सदस्यों के नामांकन या समितियों के चुनाव से संबंधित धोखाधड़ी की कार्यवाही में शामिल होना, जानबूझकर नियमों की अवहेलना करना, नैतिक अधमता, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जालसाजी और पार्टी के धन का गबन से जुड़े अपराधों का दोषी होना

d) पार्टी की ओर से दी गई ईमेल आईडी लॉगिन पासवर्ड एसएमएस, sms पोर्टल लॉगिन आईडी पासवर्ड वॉइस कॉल पोर्टल लॉगिन आईडी पासवर्ड को गुप्त न रखते हुए सार्वजनिक करना

e) पार्टी के सदस्यों के बीच द्वेष भावना फैलाना या बदनामी का अभियान चलाना, किसी भी तरह से पार्टी के कामकाज में बाधा डालना, पार्टी के धन का दुरूपयोग करना

f) किसी पार्टी या समूह या संघ में शामिल होने के लिए जिसे पार्टी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है या जिसके सिद्धांतों को केंद्रीय कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाना

g) पार्टी के पदाधिकारी होने के कारण निहित अधिकार का दुरुपयोग करना, या इस तरह के अधिकार का उपयोग करने में विफल होना और इस तरह पार्टी के एक घटक के कामकाज में विफलता लाना

h) पार्टी में अपने से उच्च पदाधिकारी का सम्मान न करना जबकि अपने से निम्न पदाधिकारी का पूर्ण सहयोग न करना अपने पद की गरिमा का उल्लंघन करना

अनुच्छेद VI (सी) सजा का प्रावधान

अनुशासनहीनता के किसी भी कार्य का दोषी कोई सदस्य दंड के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें निम्नलिखित में से एक या अधिक शामिल हो सकते हैं:

a) पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है तथा पार्टी की सदस्यता को भंग किया जा सकता है

b) एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पार्टी की सदस्यता से निलंबन किया जा सकता है

c) पार्टी की ओर से दे दस्तावेज नियुक्ति पत्र अधिकार पत्र व आईडी कार्ड को ज़ब्त किया जा सकता है

d) पार्टी कार्यकारणी के पदाधिकारी या सदस्य के मामले में, उस अवधि का निर्धारण जिसके दौरान उसे किसी भी कार्यालय या किसी कार्यकारणी की पदाधिकारी के लिए निर्वाचित या नामित नहीं किया जा सकता है या प्राथमिक के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकता है

e) पार्टी की ओर से निर्वाचित या चुनाव टिकट हेतु दावेदारी पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जा सकता है

अनुच्छेद VI (डी) पार्टी नोटिस

a) अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्यकारणी समिति के अध्यक्ष के कहने पर नोटिस जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि उन्हें लगता है कि कार्यकारणी या संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अनुशासन का प्रथम दृष्टया उल्लंघन हुआ हो

b) बिना किसी अनुशासन के कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी संबंधित व्यक्ति को अपने मामले की व्याख्या करने और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने का अवसर दिया जायेगा

c) पार्टी से किसी भी निलंबित सदस्य या पदाधिकारी, लंबित जांच के लिए किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी

अनुच्छेद VI (इ) पार्टी सदस्य पदाधिकारी अपील

अनुशासन समिति के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी पदाधिकारी या सदस्य अपने प्रस्तावित दंड के निवारण के लिए अध्यक्ष/ प्रभारी/ नियंत्रक से अपील कर सकेगा

अनुच्छेद 7/VII कामकाज के संचालन की मूलभूत जानकारी

अनुच्छेद VII (ए) पार्टी के विशेष सत्र

a) पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ऐसा निर्णय लेती है या राष्ट्रीय परिषद के कम से कम 1/3 सदस्य संयुक्त रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस तरह के एक विशेष सत्र को बुलाने का अनुरोध करते हैं, जिसमें निर्दिष्ट एजेंडे पर चर्चा की जाती हो पार्टी का एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा

b) विशेष सत्र का आयोजन प्रत्येक 6 माह में आयोजित किया जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर वर्ष में कभी भी कितने बार भी आयोजित किया जा सकेगा

c) राष्ट्रीय परिषद के सभी पदाधिकारी के साथ में पार्टी प्रकोष्ठ के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष विशेष सत्र के लिए प्रतिनिधि होंगे

अनुच्छेद VII (बी) शक्तियां और क्षेत्राधिकार

a) पार्टी के पूर्ण सत्र या विशेष सत्र में लिए गए सभी निर्णय सभी इकाइयों, अंगों, संबद्ध समितियों, प्रकोष्ठों और पार्टी के पदाधिकारियों/ सदस्यों के लिए बाध्यकारी व मान्य होंगे।

b) उल्लिखित निर्णयों के अधीन, राष्ट्रीय परिषद पार्टी का सर्वोच्च नीति-निर्माण और निकाय, नियम बनाने के लिए, चुनाव कराने के लिए मशीनरी बनाने के लिए और विवादों के निपटारे के लिए होगा।

c) राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आधीन पार्टी का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होगा। प्रत्येक शक्ति जो विशेष रूप से किसी अन्य अंग में निहित नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा प्रयोग की जा सकेगी। यह सभी इकाइयों और अंगों के कार्यों को करने के लिए नियम निर्धारित करेगा।

d) यह निधियों के रख-रखाव के लिए नियम बनाएगा जिनका वार्षिक लेखा-परीक्षा और अनुमोदन किया जाएगा, अन्य सभी इकाइयों की शक्तियों को आवंटित करना राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कर्तव्य होगा।

e) पार्टी की अन्य सभी अंग प्रकोष्ठ और इकाइयाँ ऐसे कार्यों और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

अनुच्छेद VII (सी) संसदीय बोर्ड

a) संसदीय बोर्ड उन सभी चुनावों के संबंध में उम्मीदवारों का चयन करने का निर्णायक प्राधिकारी होगा जिनमें पार्टी चुनाव लड़ती लड़ाती हो

b) संसदीय बोर्ड में समन्वयक, संयुक्त समन्वयक द्वारा नामित सामान्य परिषद के सदस्यों में से समन्वयक 25 से अधिक पदाधिकारी/ सदस्य नहीं होंगे।

c) यदि आवश्यक हो तो संसदीय बोर्ड चुनाव के संबंध में पार्टी कार्यकर्ताओं की राय जानने के लिए उप-समितियां या विभिन्न प्रकार के क्लबों का गठान कर कर सकेगा

d) अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर, यादि संसदीय बोर्ड की बैठक के लिए पर्याप्त समय नहीं है, तो समन्वयक और संयुक्त समन्वयक को निर्णय लेने और बाद में सामान्य परिषद द्वारा उसकी पुष्टि करने की शक्ति प्राप्त होगी

e) पार्टी दल अपने पंजीकरण के 5 वर्षों के अंदर निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाने वाले चुनाव लड़ेगा तथा उसके पश्चात चुनाव लड़ना जारी रखेगा

f) पार्टी दल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान पार्टी अपने लेखों की लेखा परीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट से अवश्यक करवाएगी तथा इसकी प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के अंदर निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेगी

अनुच्छेद VII (डी) सदस्यों की बैठक के लिए कोरम

a) पार्टी कार्यकारिणी की कार्यवाही का संचालन करने के लिए कुल 25 पदाधिकारियों का ¼ एक चौथाई भाग पार्टी की संबंधित इकाइयों में मौजूद होंगे, जिसमें सभी प्रकार के प्रकोष्ठों कार्यकारिणी को शामिल किया जाएगा

b) कार्यकारी कार्यकारिणी के पदाधिकारी /सदस्य जो बिना अनुमति के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं, उनके पदों को रिक्त समझ जाएगा परन्तु कार्यकारी समिति के पास उनके लिखित अभ्यावेदन पर उन्हें बहाल करने की शक्ति होगी।

अनुच्छेद VII (इ) त्यागपत्र

a) पार्टी इकाई का कोई सदस्य या पदाधिकारी संबंधित इकाई को लिखित में इस्तीफा देकर अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे सकता है।

b) ऐसे त्याग पत्र इकाई की कार्यकारी समिति की सहमति से पार्टी मुख्यालय को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से भेजे जा सकेंगे

c) ऐसा पदाधिकारी /सदस्य जो अपने पद का त्याग करता है, पार्टी की निधि, संपत्ति, फाइलें और खाते पार्टी इकाई के पदाधिकारियों को या पार्टी इकाई के पदाधिकारियों को उसके स्तर से ऊपर या पार्टी मुख्यालय को सौंप देगा।

d) पार्टी का कोई भी पदाधिकारी /सदस्य यदि अपने पद का त्याग करता है तो पार्टी की ओर से देय दस्तावेज नियुक्ति पत्र अधिकार पत्र आईडी कार्ड समस्त प्रकार के दस्तावेज पार्टी के मुख्यालय को वापस करेगा

अनुच्छेद VII (एफ) रिक्ति

a) पार्टी में इस्तीफे या निष्कासन या मृत्यु या आदतन अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से हुई रिक्ति को संबंधित पार्टी समितियों द्वारा भरा जाएगा

b) पार्टी में प्रकोष्ठों उपसमितियों या विभिन्न प्रकार के क्लबों आदि में रिक्तियों की पूर्ति नियुक्ति समिति द्वारा उसी प्रकार की जायेगी।

c) पार्टी में प्रभारी, नियंत्रक, सलाहकार तथा महासचिव आदि के पद की रिक्ति केवल परिषद या प्रतिनिधियों के सत्र द्वारा भरी जाएगी।

अनुच्छेद VII (जी) पार्टी सम्मेलन

पार्टी सम्मेलनों में प्रतिनिधि के रूप में किसी भी स्तर पर निर्वाचित होने के इच्छुक पार्टी पदाधिकारी /सदस्य मतदाताओं को अपनी उम्मीदवारी प्रदान करेंगे। पार्टी के सदस्य के रूप में ऐसा उम्मीदवार पार्टी संगठन से संबंधित होना चाहिए या उससे जुड़ा होना चाहिए जहां प्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा है और उसकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव और न्यूनतम संख्या में मतदाताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए, जिसकी संख्या और अन्य नियम संबंधित हैं ऐसे चुनावों के लिए केंद्रीय समिति या किसी अन्य उपयुक्त उच्च पार्टी समिति द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

अनुच्छेद VII (एच) पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी

पार्टी में ऐसे पदाधिकारी और मेहनतकश लोगों के लिए जिन्होंने पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लंबे समय तक सेवा की है और किसी भी पार्टी परिषद का सदस्य रहा है और जिसका परिषद के विचार-विमर्श में योगदान उपयोगी और फायदेमंद माना जाता है लेकिन जो अब असमर्थ है, किसी कारणवश से उम्र या बीमारी, सक्रिय दैनिक कार्य करने के लिए, पार्टी को अपने अनुभव और सलाह का लाभ देने की दृष्टि से संबंधित पार्टी परिषद की बैठकों में स्थायी आमंत्रित किया जा सकेगा और पार्टी में विशेष सलाहकार के तौर पर सम्मानित किया जाता रहेगा|

अनुच्छेद 8/VIII दल के कोष एवं लेखा जोखा

अनुच्छेद VIII (ए) पार्टी फंड

a) पार्टी की सदस्यता शुल्क से संबंधित निधि संग्रहण रसीदें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ही मुद्रित की जाएंगी।

b) पार्टी की प्रत्येक रसीद को विधिवत क्रमांकित कराते हुए रसीदों वाली पुस्तकों में जारी किया जाएगा।

c) प्रत्येक रसीद पर संबंधित कोषाध्यक्ष के अधिकृत हस्ताक्षर होंगे। प्रतिपर्ण पर उस सदस्य द्वारा पूर्ण रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे जो पार्टी को सदस्यता शुल्क उपलब्ध कराता हो

d) बैंक खाता पार्टी के नाम से केवल राज्य स्तर तक खोला जाएगा, जिसका संचालन इकाई के कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष या महासचिव में से किन्हीं दो द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

अनुच्छेद VIII (बी) पार्टी फंड,राशि का विभाजन

a) प्रदेश के प्रत्येक मंडल को संबंधित प्रदेश से प्राप्त कुल सदस्यता शुल्क का 20% पार्टी के कार्यों हेतु वितरित किया जाएगा

b) प्रदेश के प्रत्येक लोकसभा /जिला को संबंधित प्रदेश से प्राप्त कुल सदस्यता शुल्क का 30% पार्टी के कार्यों हेतु वितरित किया जाएगा

c) संबंधित प्रदेश से प्राप्त कुल सदस्यता शुल्क का राज्य को 30%

d) संपूर्ण भारत के प्रदेशों से प्राप्त कुल सदस्यता शुल्क का 20% राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास पार्टी सामग्री प्रचार प्रसार के लिए संरक्षित रहेगी

e) पार्टी के फंड से संबंधित लेखा वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ समझा जाएगा

f) प्रत्येक कार्यकारणी के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा संबंधित कार्यकारणी के संकल्प द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा की जाएगी और वार्षिक रूप से अनुमोदित की जाएगी।

g) पार्टी में सहयोग निधि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से 20000 से कम ऑफलाइन, से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा

अनुच्छेद VIII (सी) केंद्रीय समिति वित्त नियम

a) पार्टी की केंद्रीय कार्यकारणी अपनी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट नियुक्त करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अधिकृत होगी

b) पार्टी की केंद्रीय कार्यकारणी को प्रत्येक वर्ष, पार्टी के तंत्र को चलाने के लिए पार्टी फंड प्रत्येक राज्य द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि का उपरोक्त प्रतिशत के अनुसार विभाजन किया जाएगा

c) पार्टी के पोलित ब्यूरो आवश्यकता पड़ने पर एक वित्त उप-समिति का गठन किया जा सकेगा

d) केंद्रीय कार्यकारणी को इसके अनुमोदन के लिए वित्त उप-समिति का एक सदस्य पार्टी के वित्त की आय और संवितरण का प्रभारी होगा तत्पश्चात ही इसको पारित किया जा सकेगा

अनुच्छेद 9/ दल के संविधान की संशोधन प्रक्रिया।

अनुच्छेद IX (ए) संविधान के संशोधन

पार्टी के इस संविधान का संशोधन केन्द्रीय महापरिषद द्वारा साधारण बहुमत से किया जा सकता है, परन्तु इस संविधान का संशोधन केन्द्रीय कार्यकारिणी के संकल्प द्वारा ही किया जा सकता है। पार्टी का सर्वोच्च कार्यकारी पदाधिकारी, बशर्ते संशोधित प्रावधान उद्देश्य, उद्देश्यों और मूल पार्टी संरचना के विरुद्ध न हों, और किसी दिए गए स्थिति में अधिक प्रभावी कामकाज के उद्देश्य से ही हो

अनुच्छेद IX (बी) पार्टी बाय-लॉ

केंद्रीय कार्यकारिणी पार्टी के तहत नियम और उपनियम बना सकती है जो संविधान और उसके अनुरूप हो पार्टी के तहत नियम और उपनियम केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा पुष्टि के अधीन राज्य कार्यकारिणी द्वारा संविधान और उसके अनुरूप भी तैयार किए जा सकेगा

अनुच्छेद IX (सी) विविध प्रावधान

बहुआयामी पार्टी, मल्टीडाइमेंशनल पार्टी कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, बहुआयामवाद के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगी।

अनुच्छेद 10/X विलय विभाजन और विघटन की प्रक्रिया

पार्टी का विघटन या किसी अन्य दल में विलयन का अंतिम निर्णय सिर्फ पार्टी के विशेष अधिकार व अधिवेशन के द्वारा दो बटे तीन (2/3) बहुमत से ही लिया जा सकेगा लेकिन शर्त यह है कि प्रस्ताव पर अधिवेशन द्वारा विमर्श के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा उक्त आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका हो और कार्यकारिणी द्वारा गहन विचारों के उपरांत इस विषय हेतु निर्णय लिया जा चुका हो पार्टी के विलय एवं विघटन के लिए विशेष अधिवेशन का फॉर्म 50% होगा विशेष अधिवेशन के लिए निमंत्रण सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से भेजा जाएगा।

दल के प्रतिनिधि

पार्टी का ऐसा कोई भी दिग्गज जिसने पार्टी को कम से कम 50 वर्ष दिए हो और पार्टी की विचारधारा तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व तन, मन, धन न्योछावर किया हो वह पार्टी का प्रतिनिधि हो सकेगा|

अनुच्छेद 11

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 क (5) के अधीन अनिवार्य प्रावधान

बहुआयामवाद

बहुआयामी व्यक्तित्व या बहुआयामवाद को परिभाषित करने से पहले निम्न धारणा पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं

बहुआयामी शब्द की उत्पत्ति आयामों, विमाओं, दिशाओं, से होती है

उदाहरण के तौर पर यदि बहुआयामी की बात करें तो देखते हैं कि हम तीन दिशाओं में जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिसको हम आगे,पीछे आएं, बाएँ, ऊपर, नीचे बोल पाते हैं, उदाहरण के तौर पर यदि किसी कीड़े को एक धागे पर रेंगने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए तो वह एक ही विमा का अनुभव कर सकेगा ठीक इसी प्रकार यदि उसे एक मेज पर बैठा दिया जाए तो वह दो विमाओं का अनुभव करेगा यदि वही कीड़ा उड़ने के लिए स्वतंत्र है तो वह तीन दिशाओं का अनुभव कर सकेगा।, ठीक इसी प्रकार से बहुआयामी शिक्षा बहुआयामी तकनीकी और बहुआयामी अनुसंधान को संज्ञान में लेते हुए बहु आयामवाद की परिभाषा दी जा रही है।

यदि एक बहुआयामी व्यक्तित्व की बात करें तो जो कई पहलुओं पर एक ही समय पर बात रखने और कार्य करने का हुनर रखता है जो कि किसी अभिरुचि हो या शर्तों के साथ संदर्भित रहता है बहुआयामी व्यक्तित्व में बहुआयामी प्रतिभा, बहुआयामी संघर्ष, बहुआयामी साहस, बहुआयामी क्षमता, बहुआयामी जिज्ञासा, बहुआयामी गतिविधियां, बहुआयामी असीमित व्यक्तित्व, बहुआयामी आध्यात्मिक विकास ,और बहुआयामी व्यक्तिगत विकास, बहुआयामी ज्ञान, और कौशल की सार्वभौमिकता बहुआयामी तर्कसंगत के रूप में निरंतर अथाह सागर आगे बढ़ते रहने का व्यक्तित्व है।

बहुआयामी प्रतिभा को देखते हुए, यह बहुमुखी संभावनाओं की सीमाओं का विस्तार, प्रयासों के आवेदन बिंदु चुनने की स्वतंत्रता, अनुभवों से सीखने की क्षमता, निष्क्रियता और उबाऊ पन से मुक्ति, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति से आनंद, आसपास के पर्यावरण का आवरण, बहुआयामी ज्ञान की बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करता रहता है।, बहुमुखी प्रतिभा के लिए आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों, के अपने ज्ञान , कौशल, शैक्षिक स्वाद, अभ्यास, श्रम, व्यवहारिक उपकरण, को लहराते हुए अपने व्यक्तित्व की खेती,उपज करने का प्रयास करता रहता है। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्तित्व जिसने अनेक आयाम, अनेक विचार, अनेक स्तर, अनेक कोण, अनेक दिशा, अनेक परिमाण,अनेक धारणाओं, का सटीक मार्गदर्शन हो। अन्ततः प्रत्येक व्यक्ति बहुआयामी व्यक्तित्व का मालिक होता है इसके सकारात्मक नकारात्मक महत्व व पहचान को समझे बगैर समाज या विश्व में शांति लाना असंभव सा लगता है, वैश्विक सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव का जिम्मेवार प्रत्येक बहुआयामी व्यक्तित्व ही होता है

उदाहरण के तौर पर यदि मैं ओर आप हम एक बहुआयामी व्यक्तित्व के हैं और मेरी सारी पहचाने बहुआयामी सही दिशाओं में हैं तो मैं और आप हम निश्चित तौर पर विश्व में शांति और विकास की दिशा में बेहतर चमत्कारी बदलाव करने में सक्षम हो सकेंगे।, यदि निरंतर प्रगति करने में गलती से दिशाओं का फेरबदल होता है तो निश्चित तौर पर विश्व पतन की ओर पहुंचने के लिए बाध्य होता रहेगा , (उदाहरण के तौर पर बहुआयामी विज्ञान ने परमाणु बम का आविष्कार करके दिखाया है) और निश्चित तौर पर बहुआयामी व्यक्तित्व नष्ट होता चला जाएगा।, यदि किसी भी कार्य को बिना गलती किए हुए लगातार किया जाए और बिना कठिनाई से किया जाए तो वह बौद्धिक क्षमता का सूचक माना जाता है। वर्तमान समाज की स्थिति और परिस्थितियों को समझते हुए शिक्षा तकनीकी एवं अनुसंधान में अहम बहुआयामी सोच के साथ बदलाव करने की आवश्यकता है।

जो की बहुआयामवाद बहुआयामी राजनीतिक पार्टी का प्रमुख उद्देश्य रहेगा।

शपथ पत्र

(बहुआयामवाद बहुआयामी पार्टी शामिल हेतु)

मैं .....पुत्र श्री.....निवासी.....

डाक घर ..... (पिन कोड) जनपद.....

प्रदेश..... शपथ पूर्वक बयान करता हूं/ करती हूं कि मेरे द्वारा जो भी विवरण आवेदन मैं अंकित किया गया है वह पूर्णतया सत्य है मैं बयान करता हूं/ करती हूं कि मुझे किसी अन्य पार्टी में मुझ पर संगीन आरोप लगाते हुए पदच्युत नहीं किया गया है और ना ही नैतिक अधमता व अन्य किसी अपराध के लिए मुझे दोषी सिद्ध किया गया मैंने बहुआयामी पार्टी की सदस्यता व नियुक्ति की सभी शर्तों को भलीभांति पढ़ व समझ लिया है नियुक्ति किसी स्तर पर कोई सूचना गलत पाए जाने पर व फर्जी पाए जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी मैं बहुआयामवाद की सभी शर्तों को भली-भांति निभाता/ निभाती रहूंगी।

.....

नाम व हस्ताक्षर

बहुआयामवाद

1. बहुआयामवाद के कार्यकर्ता कीटाणु की तरह सक्रिय निष्क्रिय होकर उत्प्रेरक/केटलिस्ट की तरह कार्य करते रहेंगे।
2. बहुआयामवाद गांधीजिज्म,अंबेडकरवाद की विचारधारा पर तथा आगे बढ़ती रहेगी।
3. बहुआयामवाद भारतीय स्वदेशी कृषि तथा प्रौद्योगिकी प्रणाली पर भारतीयों को निर्भर करवाती रहेगी।
4. बहुआयामवाद किसी भी भारतीय राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का सम्मान करती रहेगी।
5. बहुआयामवाद के समस्त राजनीतिक कार्य पार्टी तथा भारतीय संवैधानिक के तहत होते रहेंगे।
6. बहुआयामवाद सरकारी विभागीय समितियों पर अहम राजनैतिक रणनीतियां बनाती रहेगी।
7. बहुआयामवाद विपक्ष की भूमिका निभाने में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी।
8. बहुआयामवाद शिक्षा तकनीकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अहम राजनैतिक रणनीतियां बनाती रहेगी।
9. बहुआयामवाद का कोई भी कार्यकर्ता धर्म, लिंग, जाति आदि का भेदभाव ना करते हुए बहुआयामवाद की शपथ लेता रहेगा।
10. बहुआयामवाद ,जातिवाद ,धर्मवाद परिवारवाद ,क्षेत्रवाद में विश्वास ना करते हुए निरंतर आगे बढ़ती रहेगी।

बहु–आयामी पार्टी (बी.ए.पी.)

Bahu- Ayami Party (B.A.P.)

बहु–आयामी पार्टी (बी.ए.पी.)

संविधान/Consitution

Officers Solutions Booklet
पदाधिकारी समाधान पुस्तिका

अब नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा नेता वही बनेगा जो उसका असली हकदार होगा

पार्टी सहायता नं0 : 0522-2731211/ 0522–2730211

Reg. Office : Kasta Colony, Maigalganj Marg, Near H.P. Maurya Petrol Pump, Constituency Kasta No. : 143, Block Mitauli Pin (261501)